दैनिक
नव प्रदेश
आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्
प्रदेश के साथ पूरा देश...
www.navpradesh.com
रायपुर, शुक्रवार 6 नवम्बर 2020, कार्तिक कृष्ण पक्ष-पंचमी, विक्रम संवत-2077 वर्ष-09 अंक-265 पृष्ठ-08 मूल्य-3 रुपए
छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखंड, से एक साथ प्रकाशित

आज बेबाक

सत्ता का नशा जब सिर पर चढ़ कर बोलता है तो सत्ताधीश का विवेक मरता नहीं तो मूर्छित जरूर हो जाता है। फिर वह परिणाम की चिंता किए बिना कुछ भी करने पर आमादा हो जाता है। महाराष्ट्र सरकार अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंटने की जो कोशिश कर रही है वह नई बात नहीं है। पूर्व में भी ऐसी तानाशाही देश ने देखी है और तानाशाहों का हश्र भी देखा है। प्रेस की स्वतंत्रता पर कुठाराघात को देखकर मूक दर्शक बने लोग याद रखे- समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तठस्त है समय लिखेगा उनका भी अपराध।

पीएचई ठेका घोटाला : सात हजार करोड़ के काम की बंदरबांट में कौन थे साथ-साथ होगी जांच

मंत्री और टॉप के तीन अफसरों तक पहुंचेगी जांच की आंच

नव प्रदेश संवादाता

■ टेंडर शर्तों से लेकर टेंडर अलॉट तक में गाइडलाइन ताक पर

■ सीएस की जांच रिपोर्ट जल्द, पूर्व सीएम ने पीएम को लिखा

रायपुर। जल जीवन मिशन प्रदेश के अब तक के सबसे बड़े घोटाले की पटकथा में तब्दील होता दिख रहा है। भूपेश सरकार ने वक्त रहते इसे भांप लिया और पूरी टेंडर प्रक्रिया को रद्द कर इज्जत बचा ली। मजे की बात यह कि पूरी टेंडर शर्तों से लेकर टेंडर अलॉट की प्रक्रिया में गाइडलाइन ताक में रखकर पूरी पटकथा लिखी गई थी। चौंकाने वाले इस खुलासे के पीछे हालाकि कांग्रेस के ही चंद वरिष्ठों का प्रयास था। इन्हों ने ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक सारा वाक्या बताया। सीएम ने भी तत्काल जानकारी ली और फिर त्वरित कार्रवाई कर 7 हजार करोड़ के कथित ठेके को एकमुश्त निरस्त करने का फैसला लिया। अब सवाल यह उठने लगा है कि सात हजार करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन में गड़बड़ियों का महाकाव्य लिखने वाले टेंडर अफसर, ■ शेष पृष्ठ 6 पर

चेहतों की जेबें भरने शर्तें हो गईं लचीली

7 हजार करोड़ के ठेका कार्यों में कई तरह की गंभीर अनियमित्ता पाई गई है। जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है अपने अपात्र चेहतों की जेबें भरने के लिए टेंडर की शर्तें ही लचीली कर दीं। ऐसी शर्तों में जिनके पास अनुभव नहीं उन्हें भी ज्वाइंट वेंचर में किसी के साथ अनुबंध कर ठेका सौंप दिया गया था। इसके अलावा बाहरी कंपनियों को उनके टर्न ओव्हर पर ही रेट कांट्रेक्ट दे दिया गया। पीएचई में हर श्रेणि यानि कि ऐ, बी, सी और डी कैटेगिरी के ठेकेदारों के लिए नियम, शर्तें और कार्यानुभव के साथ ही काम की असीमित पात्रता है। लेकिन गड़बड़ी करने वालों ने मैदानी एरिया का वर्क बाहरी कंपनियों को दिया और जिस ठेकेदार को 1 करोड़ का वर्क मिलना था उसे 10 करोड़ का काम सौंप दिया गया है।

रेट कांट्रेक्ट में छूट का इन्हें मिला लाभ

बाहरी कंपनियों को उनके रेट कांट्रेक्ट के मुताबिक ही काम सौंप दिया गया। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना की कंपनियां भी शुमार हैं। मैदानी इलाकों का वर्क ऑर्डर पटेल इंजीनियरिंग मुंबई, लक्ष्मी इंजीनियरिंग कोल्हापुर, गाजा इंजीनियरिंग तेलंगाना, सुधाकर इंफोटेक हैदराबाद, एनएसटीआई कंस्ट्रक्शन कंपनी हैदराबादा, पीआर प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली समेत कई अन्य बाहरी राज्यों की कंपनियां व ठेकेदार शामिल हैं।

बीजेपी चाहती है राष्ट्रीय एजेंसी से हो जांच

सीजेसीजे ने पूरे मामले में सबसे पहले हल्ला मचाया था। सियासी दलों में इसके बाद पूरे मामले में अब बीजेपी ने मोर्चा सम्हाल लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ.रमन सिंह ने केंद्र की राशि का ऐसा घोटाले का प्रयास किए जाने पर बुधवार को पीएम को खत लिखकर पूरे मामले की जानकारी दी है। पत्र में रमन सिंह ने पीएम से मांग की है कि अब तक इसमें बड़ा एक्शन महज टेंडर निरस्त का लिया गया है, लेकिन विभागीय मंत्री, अफसर और जिम्मेदार टेंडर ऑफिसर समेत सरकार की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। केंद्रीय मद की राशि की बंदरबांट का यह पूरा मामला है तभी खुला है। उन्हों ने उच्चस्तरीय जांच और केंद्रीय जांच एजेंसियों से कराने की मांग करते हुए कहा है सरकार टेंडर प्रक्रिया निरस्त कर लीपापोती कर रही है।

खास- खबर

जनरल नरवणे को नेपाल सेना के जनरल का मानद रैंक

नई दिल्ली (वार्ता)। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को आज नेपाल की सेना के जनरल का मानद रैंक प्रदान किया गया। तीन दिन की यात्रा पर नेपाल गये जनरल नरवणे को नेपाल की राष्ट्रपति श्रीमती विद्या देवी भंडारी ने राजधानी काठमांडू में अपने आधिकारिक निवास 'शांति निवास' में एक समारोह में यह मानद रैंक प्रदान किया गया। उन्हें इस मौके पर नामावली और तलवार भी भेंट गयी। समारोह में नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली, काठमांडू में भारतीय राजदूत विनय एम क्वात्रा और दोनों देशों के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

बॉम्बे हाई कोर्ट से नहीं मिली अर्नब को राहत

मुंबई ए.। इंटीरियर डिजायनर को आत्महत्या के लिए उक्साने के आरोप में गिरफ्तार किए गए रिपब्लिक मीडिया ग्रुप के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अर्नब को गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट की डिविजन बेंच से भी राहत नहीं मिली। बेंच शुक्रवार को मामले की फिर से सुनवाई करेगी। बता दें कि अर्नब गोस्वामी ने आत्महत्या के मामले में अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

शेयर बाजार

सेंसेक्स- 41340.16
निफ्टी- 12120.30
गोल्ड- 51663 (10 ग्रा.)
सिल्वर- 63622 (1 कि ग्रा.)

16 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़े

नई दिल्ली (वार्ता)। देश के 36 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में से 16 में कोरोना वायरस (कोविड-19) के सक्रिय मामलों में तेजी देखी गयी है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के सबसे अधिक सक्रिय 1003 मामले छत्तीसगढ़ में दर्ज किए, इसके बाद राजधानी दिल्ली में 994, हरियाणा में 772, तेलंगाना में 556, हिमाचल 312, केरल 282 और पंजाब में 245 रिकॉर्ड किए गए। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र में इसी अवधि में 3523 और कर्नाटक में 4702 सक्रिय मामले कम हुये हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना को मात देने वालों की दर आंशिक तौर पर बढ़कर 92.20 प्रतिशत हो गयी है, जबकि मृत्यु दर 1.49 प्रतिशत तथा सक्रिय मामलों की दर 6.31 प्रतिशत हो गयी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 55,331 मरीज स्वस्थ्य हुए और 704 लागों की मृत्यु हुई।

छग : कोरोना टीकाकरण की प्रारंभिक तैयारी शुरू, टॉस्क फोर्स का गठन

***रायपुर।** राज्य में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण की अपार संभावनाओं को देखते हुए प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप राज्य के सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकताओं का डॉटा-बेस तैयार किया जा रहा है। यह डॉटा-बेस टीकाकरण के लिए प्राथमिकता तय करने में सहायक होगा। डॉटा-बेस में नाम शामिल होने का तात्पर्य यह नहीं है कि उनका अनिवार्यतः टीकाकरण किया जाएगा। इस संबंध में निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बताया कि टीकों के भंडारण एवं संधारण के लिए राज्य के पास पर्याप्त व्यवस्था है। इनके सुरक्षित संधारण के लिए अभी 530 कोल्ड-चेन (शीत श्रृंखला) प्वाइंट क्रियाशील हैं। साथ ही 80 नए कोल्ड-चेन प्वाइंट भी शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में टीकों की कुल संधारण क्षमता एक लाख पांच हजार लीटर है जो कि आवश्यकता से 60 हजार लीटर अधिक है।*

दिल्ली में सभी तरह के पटाखे फोड़ने पर बैन

***नई दिल्ली।** दिल्ली में बेकाबू होते कोरोना और प्रदूषण के मद्देजनर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की। अस्पतालों में आईसीयू बेड आरक्षित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने और दिल्ली में टारगेट टेस्टिंग बढ़ाने और पटाखे बैन करने जैसे कई अहम फैसले लिए गए। सीएम ने कहा कि बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति बदतर होती जा रही है। उन्होंने लोगों से पटाखे नहीं फोड़ने की अपील की है।*

कोरोना कैपिटल बनने जा रही है दिल्ली : हाईकोर्ट

दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि महामारी सरकार पर पूरी तरह से हावी हो गई है और दिल्ली जल्द ही कोरोना कैपिटल बनने जा रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम विफल हो रहे हैं।

अमेरिका : जीत की ओर बढ़ रहे जो बाइडेन, प्रदर्शन तेज

■ सड़कों पर उतरे बाइडेन और ट्रंप समर्थक, कई शहरों में हिंसा की आशंका

वॉशिंगटन ए.। दुनियाभर की निगाहें अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों पर है और वहां नतीजा फिलहाल आता नहीं दिख रहा है। यूं तो डेमोक्रैटिक कैंडिडेट जो बाइडेन बहुमत के जादुई आंकड़े 270 इलेक्टरोल वोटों से महज 6 वोट दूर हैं, लेकिन रिपब्लिकन कैंडिडेट और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धांधली का आरोप जड़ दिया है। वह कोर्ट भी पहुंच गए हैं। वहीं, दूसरी ओर ट्रंप और बाइडेन दोनों के समर्थक सड़कों पर हैं और हिंसा जैसे हालात पैदा होने की आशंका के चलते 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

डेनवर में पुलिस से झड़प के बाद चार प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि मिनियापोलिस में ट्रैफिक ब्लॉक करने के बाद गिरफ्तारियां की गईं। न्यूयॉर्क में बुधवार देर रात करीब 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था।

करतारपुर गुरुद्वारे का काम सिखों को वापस सौंपे पाकिस्तान : भारत

नई दिल्ली (वार्ता)। भारत ने करतारपुर साहिब गुरुद्वारा का प्रबंध एवं देखरेख का काम एक गैर सिख संस्था को सौंपे जाने के पाकिस्तान के फैसले का कड़ा विरोध करते हुए आज पाकिस्तान सरकार का आह्वान किया कि वह सिखों की भावनाओं के विरुद्ध इस मनमाने फैसले को वापस ले। विदेश मंत्रालय ने आज यहां एक बयान में कहा, हमने उन रिपोर्टों को देखा जिनके अनुसार पाकिस्तान पवित्र गुरुद्वारा करतारपुर साहिब का प्रबंधन एवं देखरेख का काम अल्पसंख्यक सिख समुदाय की संस्था पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से लेकर एक गैर सिख संस्था इवेक्वी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के हाथों दिया जा रहा है। बयान में कहा गया, पाकिस्तान का यह एकतरफा निर्णय निंदनीय है।

बिहार : वाल्मिकीनगर लोकसभा और 78 विस क्षेत्र में थमा प्रचार

पटना (वार्ता)। बिहार में तीसरे और अंतिम चरण में सात नवंबर को वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव और 78 विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव के लिए आज शाम प्रचार का शोर थम गया तथा अब प्रत्याशी जनसंपर्क के माध्यम से वोट जुटाने में लग गए हैं।

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने गुरुवार को यहां बताया कि वाल्मीकिनगर संसदीय सीट के लिए तीसरे चरण के 78 विधानसभा सीट के साथ सात नवंबर को मतदान होगा। इस लोकसभा सीट के लिए सात उम्मीदवार मैदान में हैं और 2478 मतदान केंद्र पर 921133 पुरुष, 806609 महिला और 95 थर्ड जेंडर समेत 17 लाख 27 हजार 837 मतदाता इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे।

नीतीश ने अपना आखिरी चुनाव बता कर लोगों से मांगा वोट

***पूर्णिया (वार्ता)।** बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने इस बार के विधानसभा चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बताते हुए जनता से अपने नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। श्री कुमार ने धमदाहा से जदयू प्रत्याशी लेसी सिंह के समर्थन में यहां आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, जान लीजिए, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। परसो मतदान होगा। ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। आप बताइए वोट दीजिएगा न।*

पूर्व सैन्य अधिकारियों, जजों, अधिकारियों ने की मुफ्ती और अब्दुल्ला पर कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली (वार्ता)। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, प्रशासनिक सेवाओं, सेनाओं, अर्द्धसैन्य बलों और पुलिस के सेवानिवृत्त अधिकारियों, शिक्षाविदों एवं अन्य विशिष्ट सेवाओं से जुड़े पेशेवरों ने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती तथा डॉ. फारुक अब्दुल्ला के संविधान एवं देश के विरोध में बयानों पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए उनके विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किये जाने की मांग की है। देश के जिम्मेदार नागरिकों के नाम से एक समूह के तहत 267 सेवानिवृत्त अधिकारियों ने एक सार्वजनिक बयान में कहा कि वे चंद निहित स्वार्थों के लिए देश एवं संविधान के बारे में अनुचित प्रलाप करने तथा अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लगातार दुरुपयोग करने का प्रयासों से बहुत व्यथित हैं। ऐसे चरित्र वाले लोग उन देशों की भाषा बोल रहे हैं जो भारत से शत्रुता रखते हैं ।

दो जिलों की पुलिस के सामंजस्य से अपहृत बालक बरामद, गृहमंत्री साहू ने की तारीफ

■ अपहरणकर्ता चाचा गिरफ्तार

नव प्रदेश संवाददाता

बिलासपुर। जांजगीर जिले के बलौदा से 6 वर्षीय बालक का अपहरण कर लाखों की फिरौती वसुलने का सपना पाले अपहरणकर्ता बिलासपुर पुलिस के द्वारा बिछाएं गए चक्रव्यूह में एसे फसे की फूटी कौड़ी तो मिली नही उल्टे अब जेल की हवा खानी पड़ेगी, अपहृत बच्चे को बिलासपुर पुलिस ने महज 12 घण्टे के अंदर ट्रेस कर सुरक्षित किडनैपर्स के चंगुल से मुक्त करा लिया है और

अपहरण के मास्टरमाइंड और उसके साथी को को भी अरेस्ट कर लिया है।

गौरतलब हैं कि जांजगीर जिले के बलौदा थाना क्षेत्र के बलौदा नगर पंचायत के वार्ड ■ शेष पृष्ठ 6 पर

आरोपियों की हुई गिरफ्तारी

घटना के मुख्य आरोपी राजा कुर्रे को पुलिस ने रात में ही पकड़ लिया था व उसका साथी अंकित खाण्डेकर अंधेरे का फायदा उठा कर फरार हो गया था जिसे पुलिस वालो ने खेतो के बीच कीचड़ में ही जम कर इतना दौड़ाया की आरोपी भागते भागते बेहोश हो कर खेत में ही गिर गया था अंधेरे व खेत मे धान की फसल होने की वजह से पुलिस वालो को दिखाई नही दिया तब टीआई कलीम खान, मस्तूरीप्रभारी फैजुल ■ शेष पृष्ठ 6 पर

गृहमंत्री ने की तारीफ

बिलासपुर पुलिस के द्वारा जांजगीर से अपहृत बच्चे को ऑपरेशन चला कर सकुशल बरामद कर लेने और अपहर्ताओं को गिरफ्तार कर लिए जाने पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने बिलासपुर पुलिस को टैग कर ट्विटर पर उत्साह वर्धन किया हैं।

अमानत में खयानत | अगस्त माह से राशन निजी मकान में डम्प, बचेली एसडीएम ने जांच के लिये भेजी टीम

बड़े बचेली 5 का सरकारी राशन 300 बोरे पीएम आवास से बरामद

नवप्रदेश संवाददाता

दंतेवाड़ा। सरकारी राशन की हेराफेरी की खबरे दंतेवाड़ा में थमने का नाम नही ले रही है। अभी गुडसे सोसायटी का मामला थम भी नहीं पाया था, और बड़े बचेली सोसायटी दुकान क्रमांक 5 का चावल लगभग 350 बोरे बचेली पटेलपारा में एक निजी पीएम आवास में मिला।

दरअसल बड़े बचेली सोसायटी क्रमांक 5 में 1006 राशनकार्ड धारक है. जिनके लिए हर माह चावल,चना,शक्कर सरकारी कोटे से भेजा जाता है। इसी सप्लाई का चावल ग्रामीणों को बाटे बिना एक निजी आवास में सोसायटी संचालक और लैम्प्स

मैनेजर द्वारा छिपाकर रखा गया था. जिसे बाज़ार में खपाने की आशंका जताई जा सकती है। क्योंकि जिस मकान में चावल रखा हुआ था वहाँ संजय नाम के व्यक्ति ने जानकारी दी कि बीते 3 महीने पहले अगस्त में यह चावल रखवाये है। इससे 03 बोरे आश्रम वाले भी लेकर गये है। वही सोसायटी संचालक तुलसी ने बताया कि गोदाम में जगह नही है इसलिए चावल यहाँ पर रख दिये। साथ ही एपीएल चावल भेजा गया है। जिसकी खपत नही है। मगर सवाल यह उठता है कि सरकारी राशन की 350 बोरे 03 महीने से रखा हुआ है जिसकी भनक किसी प्रशासनिक अधिकारी ■ शेष पृष्ठ 6 पर

भागलपुर : नौका दुर्घटना में 30 से अधिक लोगों के डूबने की आशंका

भागलपुर (वार्ता)। बिहार में भागलपुर जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र में तीनटंगा गांव के निकट गंगा नदी में नौका के पलट जाने से 30 से अधिक लोगों के डूब जाने की आशंका है।

थाना प्रभारी कुणाल चक्रवर्ती ने आज यहां बताया कि तीनटंगा गांव के निकट गंगा नदी के दर्शन मांझी घाट से एक नाव पर 40 से अधिक लोग सवार होकर नदी के दूसरे छोर पर मक्के की खेती करने के लिए जा रहे थे तभी बीच नदी में नाव पलट गई। यह दुर्घटना नाव पर क्षमता से अधिक लोगों के सवार होने के कारण हुई।

श्री चक्रवर्ती ने बताया कि नाव पर सवार लोगों में से 8 लोग किसी तरह तैरकर किनारे आ गए। शोर मचाने पर स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए मौके पर पहुंचे और एक महिला का शव नदी से बाहर निकाला । मृतक की पहचान तीनटंगा गांव की सुनयना देवी के रूप में की गई है जिसकी उम्र 35 वर्ष और पति का नाम किलबुल यादव है।

घटना की सूचना मिलते ही नवगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार और प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रियंका भी मौके पर पहुंच गई हैं ।

न्यूज गैलरी

दो बड़ी कार्रवाई

भिलाई। निगम अंतर्गत जोन 1 क्षेत्र के वार्ड 7 दुर्गा नगर कोहका के आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक निर्माण करना मकान मालिक को भारी पड़ा। दुर्गा नगर के प्लॉट नंबर 63 बी में डॉक्टर रजिया परवीन द्वारा आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक निर्माण किया गया था साथ ही उन्होंने स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कर कोई भी हिस्सा खाली नहीं छोड़ा। जिस जगह को स्वीकृत मानचित्र के आधार पर रिक्त रखना था वहां पर मकान मालिक ने व्यवसायिक उपयोग के लिए दुकान बना दी। आयुक्त सुनील अग्रहरि को मामला संज्ञान में आने पर अपनी टीम के साथ पहुंचे और 2 जेसीबी, 1 डंपर से निर्माण तोड़ने की कार्रवाई की।

गोधन व मिट्टी बनाए गए दीए

भिलाई.03। निगम भिलाई.चरौदा क्षेत्रांतर्गत वार्ड 38 ग्राम सोमनी में संचालित स्व. सहायता समूह की महिलाओं द्वारा दीपावली पर्व पर गोधन और मिट्टी से बनाये गये दीयों को ग्राम सोमनी के साथ निगम कार्यालय के सभी विभागों में दीये की महत्ता एवं दीये बनाने की विधि को बताते हुये दीये की आपूर्ती लगातार की जा रही है। स्व.सहायता समूह की महिलाओं का कहना है कि यह कार्य हमें निश्चित रूप से स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत अच्छा कला है।

कलेक्टर व महापौर शापिंग करने पहुंचे बिहान बाजार

बाजार में एक दिन में डेढ़ लाख की सामग्री बिकी

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। जिला पंचायत परिसर में लगे बिहान बाजार में आज दीवाली खरीदी को लेकर भारी उत्साह का वातावरण दिखा। दिन भर में लगभग डेढ़ लाख की सामग्री बिक गई। सभी सामग्री स्वसहायता समूहों द्वारा बनाई गई है। इसमें डिजाइनर दीये से लेकर खाने पीने के ठेठ छत्तीसगढ़ी सामग्री शामिल हैं। कलेक्टर डा. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे एवं महापौर धीरज बाकलीवाल भी आज शापिंग करने बिहान बाजार पहुंचे। वहां उन्होंने स्वसहायता समूहों से बनी हुई सामग्री खरीदी। कलेक्टर ने बिहान की समूहों की महिलाओं से पूछा कि कैसा रिस्पांस रहा बाजार का। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पंचगव्य दीये बेचे। ये तेल कम सोखते हैं इनमें दीपक देर तक जलता है। हम लोगों ने इसे खूब करीने से सजाया है। हमें बहुत अच्छा लगा जब जिला प्रशासन ने हमें इतनी अच्छी जगह दी। दिन भर लोग आते रहेए हमारे समानों को पसंद करते रहे। खूब बिक्री हुई। हमारे लिये दीवाली का काफी उत्साह पहले ही हो गया। इस मौके पर एसपी प्रशांत ठाकुर एवं अपर कलेक्टर प्रकाश सर्वे ने भी दीये खरीदे। कलेक्टर ने छत्तीसगढी व्यंजनों का सेट भी देखा। इसमें ट्रेडिशनल ठेठरीए खुरमी, पीड़िया जैसे व्यंजन शामिल हैं। स्वसहायता समूहों की महिलाओं ने कलेक्टर को बताया कि ये परंपरागत डिश बहुत पसंद किये जाते हैं। आजकल लोगों के पास समय तो होता नहीं कि ये सब घर में बनायें। इसलिए बाहरी मिठाई का चलन बढ़ गया था। अब जब हम लोगों को यह उपलब्ध करा रही हैं तो लोगों को काफी अच्छा लग रहा है। जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि इसके अलावा ट्रेडिशनल सजावटी सामग्री भी खूब बिकी। महिलाओं में खूब उत्साह है। यह स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फोरम बन गया है। उम्मीद है कि कल आज की तुलना में सेल में काफी इजाफा होगा। इनके सुंदर डिजाइन खूब पसंद किये जा रहे हैं।

समानित...

दुर्ग (नवप्रदेश)। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर दुर्ग जिले से सर्वाधिक राशि एकत्रित की गई। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे को राज्यपाल अनुसूइया उइके ने इसके लिए सम्मानित किया। जिले में वर्ष 2017 में सर्वाधिक धनराशि एकत्रित की गई थी। वर्ष 2018 में रायपुर जिले में सर्वाधिक धनराशि एकत्रित की गई। दूसरा स्थान दुर्ग का रहा। इसके लिए भी कलेक्टर को सम्मानित किया गया। दोनों वर्षों में अच्छा कार्य करने दुर्ग के सेवानिवृत्त कैप्टन आईएन पुरनेंदु विद्यांता को भी सम्मानित किया गया।

एमआईसी की बैठक कई प्रस्ताव पर सहमति

नवप्रदेश संवाददाता

भिलाई। महापौर परिषद की बैठक महापौर देवेंद्र यादव की अध्यक्षता एवं प्रभारी आयुक्त अशोक द्विवेदी की उपस्थिति में महापौर कक्ष में आयोजित हुई। राजस्व विभाग द्वारा लाए गए प्रकरण में पावरहाउस बस स्टैंड के सामने स्थित साइकिल स्टैंड, कोसानाला रेलवे स्टेशन के समीप स्थित साइकिल स्टैंड तथा पावर हाउस इंदिरा मार्केट रेलवे स्टेशन के समीप स्थित साइकिल स्टैंड के लिए निविदा आमंत्रित किए जाने के विषय पर चर्चा हुई। राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में उल्लेख किया गया है कि बारंबार निविदा आमंत्रित किए जाने के बाद भी महिला स्व सहायता समूह द्वारा दर प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। इसलिए साइकिल स्टैंड को पूर्व प्रक्रिया के तहत निविदा आमंत्रित किए जाने की अनुमति महापौर परिषद से चाही गई है जिसके लिए महापौर परिषद ने पूर्व प्रक्रिया के अंतर्गत नीलामी करने पर अपनी सहमति दी है। दूसरे प्रकरण में निगम के जल कार्य विभाग के अंतर्गत शिवनाथ इंटकवेल, 77 एमएलडी जलशोधन संयंत्र, 2.72 एमएलडी, 1.5 एमएलडी के संचालन एवं संधारण कार्य के लिए श्रमिक उपलब्ध कराने अतिरिक्त स्वीकृति एवं बजट आबंटन की अनुमति परिषद से चाही गई है। उल्लेखनीय है कि जल कार्य विभाग द्वारा श्रमिक प्रदाय करने के लिए निविदा आमंत्रित की गई है।

वोरा के आग्रह पर डहरिया ने दिए 5 करोड़

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। नगरीय निकाय मंत्री डॉ. शिव डहरिया के नगर आगमन की सूचना मिलने पर विधायक अरूण वोरा ने फोन पर डॉ शिव डहरिया से चर्चा की और अमृत मिशन योजना के अंतर्गत पाइप लाइन डालने के बाद जर्जर हो चुकी सड़कों के नवनिर्माण के लिए सीमेंट सड़कों के लिए 3 करोड़ व डामरीकरण के लिए 2 करोड़ की राशि जारी करने की मांग की। मंत्री ने इसके लिए सैद्धान्तिक सहमति देते हुए राशि जारी करने का आश्वासन दिया है। बातचीत के दौरान डहरिया ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा से स्वास्थ्य का हाल पूछा। मोतीलाल वोरा ने कोरोना रोकथाम में निकायों द्वारा महती भूमिका निभाने के लिए मंत्री डहरिया को बधाई दी। इधर विधायक वोरा के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग द्वारा सिविल लाइन क्षेत्र की जर्जर हो चुकी सड़कों के पैचवर्क कार्य और निगम द्वारा 12 लाख की लागत से पोटिया में सीमेंट सड़क निर्माण भी शुरू कराया है। वोरा ने कहा कि अच्छी सड़कें मूलभूत नागरिक

आवश्यकता होने के साथ ही शहर की पहचान होती हैं। शहरी क्षेत्र की सड़कों का जीर्णोद्धार जरूरी है। वोरा ने बताया कि 64 करोड़ की लागत से मुख्य सड़क सौंदर्यीकरण की निविदा कराई जा चुकी है यह कार्य भी जल्द प्रारम्भ होने जा रहा है। शहर की आंतरिक सड़कों का निर्माण भी जरूरी हैए इसीलिए निकाय मंत्री से राशि मांगी गई है। उन्होंने राशि स्वीकृत करने सहमति देने के लिए नगरीय निकाय मंत्री डहरिया को धन्यवाद दिया।

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग-1 (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदक श्री इजाज अहमद आ. मकबूल अली साकिन दुर्ग के द्वारा ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 रा.नि.मं. अण्डा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 56/4 रकबा 1350 वर्गफीट हे. भूमि नीरज चंसोलिया पिता शंभू दयाल से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 05.10.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर दावा हो तो व नियत पेशी दिनांक 09.11.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम ये इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 28.10.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग-1 (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदक श्री रियाज अहमद आ. मकबूल अली साकिन दुर्ग के द्वारा ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 रा.नि.मं. अण्डा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 56/4 रकबा 1800 वर्गफीट हे. भूमि नीरज चंसोलिया आ. शंभू दयाल से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 05.10.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर दावा हो तो व नियत पेशी दिनांक 09.11.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम ये इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 28.10.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग-1 (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदक श्री कृष्णा आ. बिसौहा साकिन हनोदा के द्वारा ग्राम हनोदा प.ह.न. 39 रा.नि.मं. अण्डा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 482 रकबा 0.050 हे. भूमि प्रदुमन, डोमन आ. जगदीश से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक ... को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर दावा हो तो व नियत पेशी दिनांक 22.11.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम ये इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 04.11.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.कोर्ट नं.- 202010100700243

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका जयश्री पति सुरेश कुमार काछवानी निवासी ग्राम सिंधी कालोनी तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1341/43 रकबा 0.017 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा मूल ऋण पुस्तिका गुम हो जाने पर डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका प्रदाय करने हेतु आवेदन पत्र चालान की मूल प्रति, बैकों द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र, थाना की रिपोर्ट व राजस्व अभिलेख सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 13.11.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 28.10.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.कोर्ट नं.- 202010100700242

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजेश कुमार काछवानी पिता गोपीचंद काछवानी निवासी ग्राम सिंधी कालोनी तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1341/44 रकबा 0.017 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा मूल ऋण पुस्तिका गुम हो जाने पर डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका प्रदाय करने हेतु आवेदन पत्र चालान की मूल प्रति, बैकों द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र, थाना की रिपोर्ट व राजस्व अभिलेख सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 13.11.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 28.10.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.कोर्ट नं.- 202010100700004

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री डोमन पटेल पिता स्व. अमर सिंह निवासी ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 23/4, 263/11 रकबा 0.3930, 0.0160 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार अमर सिंह आ. लक्ष्मण की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 19.11.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 04.11.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी.- 202010100700230

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती मुन्नी बाई घुवंशी पति योगेन्द्र घुवंशी निवासी ग्राम शीतला नगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 912/221 रकबा 0.006 हे. भूमि को विक्रेता श्री गोपाल प्रसाद पिता श्री सेवकराम देवांगन निवासी ग्राम शीतला नगर दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 14.10.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 13.11.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 29.10.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री राजेन्द्र सिंह पिता स्व. दिलीप सिंह निवासी ग्राम कसारीडीह चौक दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 763/43 रकबा 0.016 हे. भूमि को हकत्यागकर्ता विरेन्द्र सिंह अन्य 01 पिता स्व. दिलीप सिंह निवासी से रजिस्टर्ड हकत्याग दिनांक 16.10.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड हकत्याग के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 12.11.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 29.10.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट — पक्षकार का नाम श्रीमती चेतना रहांगडाले — ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 20201010400512

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती चेतना रहांगडाले पति श्री तुषार रहांगडाले निवासी सड़क नं. 05 मॉडल टाउन जुनवानी भिलाई तहसील व जिला दुर्ग छ.ग. द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुनर्निर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59(2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम जुनवानी प.ह.न. 21 तह.व जिला दुर्ग	1084/278	0.020 हें 1050 वर्गफीट	आवासीय

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/दावा स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत कालावधि के बाद प्राप्त आपत्ति/दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 14.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202011100400100

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती पूनम परिहार जौ. रविकांत परिहार निवासी लोहारा रोड बालोद द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की ग्राम चिखली प.ह.न. 11 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 315/78 रकबा 0.035 हें/ 3567 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 02.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202011100400126

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री मो. हमीद चौहान आ. जनाब हाजी मो. सलीम चौहान निवासी केलाबाड़ी दुर्ग द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की ग्राम दुर्ग प.ह.न. 24 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 492/16 रकबा 0.022 हें/ 2400 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 04.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202011100400102

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री रामकुमार देवांगन आ. स्व. चैतराम देवांगन निवासी गौतम नगर लाखे नगर रायपुर द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की ग्राम अंजोरा प.ह.न. 28 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 127/16 रकबा 0.0100 हें/ 1510 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 02.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202011100400127

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री मो. फिरोज चौहान आ. जनाब हाजी मो. सलीम चौहान निवासी केलाबाड़ी दुर्ग द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की ग्राम दुर्ग प.ह.न. 24 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 492/17 रकबा 0.022 हें/ 2400 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 04.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202010100400

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका दुलारी बाई साहू पिता/ पति हरखराम निवासी केलाबाड़ी दुर्ग द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की ग्राम अंजोरा प.ह.न. 28 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 672/100 रकबा 0.0140 हें/ ...वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 18.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202011100400139

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री जयप्रकाश साहू आ. गीताराम साहू निवासी पंचशीलनगर दुर्ग द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की ग्राम बघेरा प.ह.न. 07 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 69/8 रकबा 0.0250 हें/ 2700 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 04.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202010100400823

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका सुशीला बजाज जौ. घनश्याम दास बजाज निवासी पुराना बस स्टैण्ड बीजापुर द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की ग्राम बोरसी प.ह.न. 19/23 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 269/40 रकबा 0.012 हें/ 1249.5 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 31.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्रं./अ-06/वर्ष 2020-21

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका सायर बाई पति ताराचंद जैन निवासी गवलीपारा दुर्ग मौजा बघेरा प.ह.न 48 रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 250/8 रकबा 0.0180 हें भूमि मृतक भूमिस्वामी ताराचंद के नाम पर दर्ज है। भूमि स्वामी की मृत्यु होने के कारण फौती दर्ज करने आवेदन पेश किया गया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/ आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 18.11.2020 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् होने पर आपत्ति/ दावा पर विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 29.10.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

(धारा 178 प्रारुप)
रा.प्र.क्र./अ-27/वर्ष 2019-20

क्योंकि मौजा रिसाली तहसील व जिला दुर्ग के सहभूमिस्वामी श्रीमती सुरेखा स्वर्णकार पति स्व. ओमप्रकाश साकिन बेमेतरा तहसील व जिला बेमेतरा ने निम्नकित अनुसूची में निर्दिष्ट खाते के अपने भाग के विभाजन के लिए आवेदन किया है एवं क्योंकि उक्त खाते का बंटवारा किया जाना प्रस्तावित हुआ है। एवं सुनवाई का दिनांक 27.11.2020 स्थान तहसील दुर्ग पर दिन 11:00 बजे नियत किया गया है। उक्त खाते में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को एद्त द्वारा सूचित किया जाता है कि वे निश्चित दिनांक को या तो स्वतः अथवा किसी अभिभाषक अथवा प्रतिनिधि द्वारा हाजिर हो एवं अपनी आश्रेपों यदि कोई हो तो पेश करें

उपरोक्त तिथि एवं स्थान पर हाजिर नहीं होने पर एवं आक्षेपों को पेश नही कर पाने की स्थिति में किसी आक्षेप पर विचार नही किया जावेगा।

खाते का विवरण

खसरा नंबर 257/3, 257/4, 431/3, 680/1, 684/1, 907/5, 1059/2/2

रकबा 0.990, 0.080, 0.060, 0.370, 0.030, 0.003 हे.

आज दिनांक 27.10.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202011100400005

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री दिलीप कुमार साहू आ. रामविलास साहू निवासी धनोरा द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1021/3 रकबा 0.0014 हें/ 1500 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 31.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202011100400004

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री दिलीप कुमार साहू आ. रामविलास साहू निवासी धनोरा द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1017/19, 1017/20 रकबा 0.0009, 0.0011 हें/ 2200 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 31.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 20201010400763

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक सहयोगी मित्र मंडल निवासी थनौद तह. व जिला दुर्ग द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की ग्राम थनौद प.ह.न. 28 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 92 रकबा 0.34 हें/ .. वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202011100400095

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री अश्वनी कुमार मारकण्डे आ. दयाराम मारकण्डे निवासी उमरपोटी द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 192/2 रकबा 0.02 हें/ 2200 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 02.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202011100400087

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री एस.जगन मोहन रेड्डी आ. एस. राजय्या निवासी हरिनगर कातुलबोर्ड द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 298/13 रकबा 0.013 हें/ 1350 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 02.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 20201010400705/अ-2

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री ढालसिंह वगैरह आ. स्व. दशरथ सिंह निवासी ढौर द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की ग्राम ढौर प.ह.न. 17 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 2140 रकबा 0.1100 हें/ 11979 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 22.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यूज गैलरी

व्यवहार न्यायाधीश प्रांरभिक परीक्षा 10 को

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) की प्रांरभिक परीक्षा 2020 की लिखित परीक्षा 10 नवम्बर को आयोजित है। यह परीक्षा रायपुर शहर के 30 परीक्षा केन्द्रों में सुबह 10 से 12 बजे तक होगी। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए डिप्टी कलेक्टर श्रीमती पूनम शर्मा को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

जिला योजना समिति के निर्वाचन के लिए सदस्यों की संख्या निर्धारित

रायपुर। छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति निर्वाचन अधिनियम 1995 के अनुसरण में तथा संशोधित अधिनियम 2001 के द्वारा रायपुर जिला के जिला योजना समिति के लिए निर्धारित सदस्यों की संख्या में से 15 सदस्यों का निर्वाचन जिले के नगरीय निकय एवं जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किए जाने हेतु सदस्यों की संख्या 15 निर्धारित की गई है। कलेक्टर रायपुर डॉ एस.भारतीदासन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर बताया है कि जिला पंचायत (ग्रामीण) के सात, नगर पालिका निगम रायपुर के सात तथा नगर पालिका परिषद गोबरा नवापारा, तिल्दा-नेवरा एवं आंरग के एक सदस्य शामिल है।

कम्बाईण्ड डिफेन्स सर्विस परीक्षा 8 को

रायपुर। संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा कम्बाईण्ड डिफेन्स सर्विस परीक्षा 8 नवम्बर को आयोजित की गई है। यह परीक्षा रायपुर शहर के 8 परीक्षा केन्द्रों में तीन पालियों में परीक्षा संचालित होगी। प्रथम पाली सुबह 9 से 11 बजे, द्वितीय पाली दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक एवं तृतीय पाली दोपहर 3 से शाम 5 तक होगी। परीक्षा के सफ्ल संचालन हेतु कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 6 में कंट्रोल रूम बनाया गया है।

तेज रफ्तार कार लोहे के गार्ड से टकरायी, एक की मौत

रायपुर। तेज रफ्तार कार सड़क किनारे लगे रेलिंग से टकरा जाने की चलते घटना स्थल पर ही एक युवक की मौत हो गए वही कार में सवार अन्य दो लोग घायल हो गए है। 94 बी तालपुरी भिलाई जिला दुर्ग निवासी शुभम पाण्डे 24 वर्ष पिता विरेन्द कुमार पाण्डे ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि वह बीई डिप्लोमा कर रहा है। बीती रात प्रार्थी अपनी वेरना कार क्रमांक सीजी 04 केयू 5550 से नीतिश यादव व वैभव तिवारी के साथ रायपुर तीनों दोस्त से मिलने गए थे। वापस आते समय कार वैभव तिवारी चला रहा था तभी टांटीबंद चौक के पास भारत बैंज शोरुम के सामने कार के पीछे सीट पर बैठा नीतिश यादव कार मै चलाउंगा कहकर चलती कार में आगे आने की कोशिश करने लगा इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे लोहे के गार्ड से टकरा गयी। जिसके चलते नीतीश यादव के सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई।

पैदल जा रही महिला को बाईक ने मारी ठोकर, मौत

रायपुर। तेज रफ्तार बाईक की ठोकर से उपचार के दौरान एक महिला की मौत हो जाने पर पुलिस ने अज्ञात बाईक सवार के खिलाफ मर्ग कायम कर धारा 304 ए के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। सतनामीपारा उरला निवासी श्रीमती धनवरीन साहु 54 वर्ष पति चंद्रिका साहु की 29 अक्टूबर को बेन्द्रीचौक के पास पैदल जाते समय सड़क हादसे में गंभीर रुप से घायल हो जाने पर उपचार के लिये डीकेएस अस्पताल में भर्ती किया गया था जहां 4 नवंबर को उपचार के दौरान सुबह 3.38 बजे उसकी मौत हो गयी। घटना के संबंध में मृतिका के बेटे दशरथ साहु से लिये गए बयान में पुलिस को बताया कि मृतिका 29 अक्टूबर को कुम्हारी से सब्जी खरीदकर टाटाएस वाहन में रखकर आ रही थी। दोपहर 12 बजे बेन्द्रीचौक के पास पहुंचने पर पैदल घर जाते समय अज्ञात मोटरसाइकिल चालक ने ठोकर मार दिया। हादसे में महिला गंभीर रुप से घायल हो गई।

कृषि कानून एवं फसल के न्यूनतम मूल्य को लेकर छग किसान मजदूर महासंघ ने किया हाईवे जाम

■ मौके पर एडीएम, एएसपी ने संभाला मोर्चा

नव प्रदेश संवाददाता

रायपुर। केन्द्र सरकार द्वारा कृषि विरोधी काले कानून एवं फसल के न्यूनतम मूल्य निर्धारण की मांग को लेकर सेरीखेड़ी मुख्य हाईवे पर छग किसान मजदूर महासंघ ने जमकर चक्काजाम किया। मौके पर तैनाल पुलिस बल के साथ एडीएम और एएसपी ने मोर्चा संभालकर किसानों के प्रदर्शन को नियंत्रित किया। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश भर के किसान कृषि विधेयक के खिलाफ आज प्रदेश भर में मुख्य मार्गों पर चक्काजाम कर किसानों के हितों के विरोध में लागू कानून का विरोध धरना प्रदर्शन कर किए। वहीं राजधानी में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के समक्ष किसानों ने महाप्रदर्शन के दौरान 50 से अधिक जनसंगठनों के साथ लंबे समय तक चक्काजाम किया। संचालक मंडल के सदस्यों ने तेज राम विद्रोही, रूपन चन्द्राकर, जागेश्वर चन्द्राकर, डॉ. संकेत ठाकुर ने आयोजित धरने का नेतृत्व किया। उक्त धरने में 50 संगठनों के किसान बड़ी संख्या में हिस्सा लेकर केन्द्र सरकार के काले

कृषि कानून को लागू करने के विरोध में नारेबाजी करते हुए राज्य सरकार से फसलों का न्यूनतम मूल्य तत्काल तय करने की मांग किए हैं।

कोविड-19 के दौरान भूतपूर्व सैनिकों का योगदान सराहनीय : उइके

अब भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सैनिक बोर्ड में ऑनलाइन आवेदन करने की मिलेगी सुविधा

राज्यपाल की अध्यक्षता में राज्य सैनिक बोर्ड की राज्य प्रबंधन समिति की हुई ऑनलाइन बैठक, लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

झंडा दिवस के अवसर पर सर्वाधिक धनराशि एकत्रित करने वाले कलेक्टर एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों को गवर्नर ट्राफी से किया गया सम्मानित

नव प्रदेश संवाददाता

रायपुर। अब छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सैनिक बोर्ड छत्तीसगढ़ द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं तथा आर्थिक सहायता के लिए आनलाईन आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के रिकार्ड का भी डिजिटलाईजेशन किये जाएंगे। इससे भूतपूर्व सैनिकों को ऑफ्लाइन आवेदन करने में होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी। इसके लिए एक साफ्टवेयर भी बनाया जाएगा। यह निर्णय राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में आयोजित राज्य सैनिक बोर्ड की अमलगेटेड स्पेशल फंड के राज्य प्रबंधन समिति की ऑनलाइन बैठक में लिया गया। राजभवन में हुई इस बैठक में राज्यपाल ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सर्वाधिक धनराशि एकत्रित करने वाले कलेक्टर एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों को गवर्नर ट्राफी से सम्मानित किया।

राज्यपाल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि आज की बैठक में लिए गये निर्णय से भूतपूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं एवं उनके आश्रितों को अवश्य लाभ प्राप्त होगा। गत 14 मार्च 2020 को छत्तीसगढ़ के 26 वीर नारियों एवं माताओं का राजभवन में पहली बार सम्मान किया गया जो कि अत्यंत गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान पूर्व सैनिकों द्वारा जनसेवा में जो योगदान दिया, वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि हमारे भूतपूर्व सैनिक कठिन परिस्थितियों में सदैव आगे बढ़कर निःस्वार्थ सेवा प्रदान करेंगे।

राज्यपाल ने कैंसर से पीड़ित भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को आयुष्मान भारत योजना के तहत चिन्हित अस्पतालों में तथा अन्य शासकीय अस्पतालों में इलाज कराने के भी निर्देश दिए। बैठक में कैंसर से पीड़ित भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को दी जाने वाली सहायता राशि को 25 हजार रूपए निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। राज्यपाल ने कहा कि इस बीमारी के इलाज में काफी धनराशि खर्च होती है। अतः उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।

बैठक में भूतपूर्व सैनिकों के दिव्यांग (मानसिक रूप से) बच्चों को दी जाने वाले सहायता राशि देने का दायरा बढ़ाया गया है। पहले केवल 100 प्रतिशत दिव्यांगता पर ही सहायता दी जाती है, लेकिन अब दिव्यांगता (मानसिक रूप से) की विभिन्न श्रेणियों के तहत आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया। इसके तहत 100 प्रतिशत से कम दिव्यांगता होने पर 1500 रूपए, 50 प्रतिशत से कम में 700 रूपए और 25 प्रतिशत से कम में 500 रूपए प्रतिमाह दिये जाने का प्रावधान किया गया। साथ ही इस बैठक में भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु पष्चात् उनके विधवा/उत्तराधिकारी को मिलने वाली मृत्यु अनुदान राषि को 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए की गई। भारतीय रक्षा सेवाओं में प्रवेष के लिए होने वाली सर्विस सेलेक्षन बोर्ड परीक्षा के पूर्व प्रषिक्षण के लिए आर्थिक अनुदान 5,000 रूपए से बढ़ाकर 20,000 रूपये किया गया। सुश्री उइके ने कहा कि इससे बच्चों को कोचिंग प्राप्त करने में सुविधा होगी।

कृषि विवि में गैर शिक्षकीय वर्ग के 29 कर्मचारी पदोन्नत

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में गैर शिक्षकीय वर्ग के 29 कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा पदोन्नत किये गये कर्मचारियों में 2 कर्मचारियों को स्टोनोग्राफर-3 से वरिष्ठ शीघ्रलेखक के पद पर, एक कर्मचारियों को स्टेनोटायपिस्ट से स्टेनोग्राफर-3 के पद पर, 9 कर्मचारियों को सहायक वर्ग-1 से शाखा अधिकारी के पद पर तथा 17 कर्मचारियों को सहायक वर्ग-2 से सहायक वर्ग-1 के पद पर पदोन्नत किया गया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलसचिव कार्यालय द्वारा जारी किये गये आदेश के अनुसार एस.व्ही.व्ही. सोमशेखर एवं रवि सिंह ठाकुर को वरिष्ठ शीघ्रलेखक के पद पर पदोन्नत किया गया है। स्टेनोग्राफर-3 के पद पर श्रीमती विजय लक्ष्मी वास्तव को पदोन्नत किया गया है। शाखा अधिकारी के पद पर राज कुमार पाण्डेय, जेकब जार्ज, अजय अग्रवाल, रमेश कुमार वास्तव, सतीश कुमार अग्रवाल, सु लता यादव, सैययद जावेद अली, महेन्द्र बहपगारिया एवं गुहनलाल साहू को पदोन्नत किया गया है। इसी प्रकार गिरधारी यादव, नीलू निर्मलकर, काल्विन कुमार ठाकुर, लखन लाल यादव, रामनाथ देवांगन, पोखन लाल सिन्हा, मुक्ता नंद नायक, मति भानू प्रभा वास्तव, अमिताभ शर्मा, राकेश बघेल, अशोक कुमार खरे, मति प्रिया नागवंशी, लुकेश कुमार महानंद, रामदेव राम, प्रवीण कुमार ध्रुव, कोमल प्रसाद गॉवरे तथा अब्दुल वकील को सहायक वर्ग-1 के पद पर पदोन्नत किया गया है।

श्मशान घाट के पास मिली युवक की लाश

रायपुर। श्मशान घाट के सामने नाली के पास एक व्यक्ति के शव मिलने की सूचना पर पुलिस ने लाश का पंचनामा के पश्चात शॉट पीएम रिपोर्ट मौत का कारण मृतक के शरीर व सिर में चोट आने की वजह से होना बताये जाने पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। 3 नवंबर को रात्रि 9 .45 बजे वार्ड क्रमांक 21 सासाहोली निवासी नरोत्तम यदु 50 वर्ष ने एक व्यक्ति की पंचवटी नर्सरी श्मशान घाट सासाहोली तिल्दा के पास नाली किनारे लाश पड़े होने की सूचना दी। जिसके बाद घटना स्थल पर पहुंचने के बाद नाली किनारे एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ था,उसके दोनों हाथ से खरोच लगने की वजह से खुन बह रहा था तथा देखने से व्यक्ति शराब पिया जैसा लग रहा था। आस-पास के लोगों से मृतक की पहचान करायी गई जिसके बाद उसकी पहचान कैलाश ध्रुव 29 वर्ष पिता स्व.धनसाय ध्रुव निवासी ग्राम सरोरा के रुप में की गई।

गैस एजेंसियों में लगने लगी लाइन

उपभोक्तओं का मोबाइल नम्बर अपडेट नहीं होने से ओटीपी नहीं दिखा पाने पर अधिक समय लग रहा है जिसके कारण लम्बी-लम्बी लाइन लगने लगी है।

मोटराइज्ड ट्राइसिकल योजना | **नि :शक्त गोविंद को आने-जाने में होने लगी सहुलियत**

गोविंद का हर सफर हुआ आसान

नव प्रदेश संवाददाता

रायपुर। दोनों पैरों से निःशक्त युवक गोविंदलाल साहू अब जीवन की नई दिशा की ओर चल पड़ा है। अभी तक उसे घर से बाहर की दुनिया को देखने कही आने-जाने के लिए बार-बार सोचना पड़ता था और अपनी सहायता के लिये दूसरों पर आस लगाकर रखनी पड़ती थी। गोविंद कभी-कभी लाचार और बेबस महसूस करता था। उसे भी बाहर घूमने-फिरने की इच्छा तो होती थी, लेकिन समय पर उसकी इच्छा पूरी हो पाये ऐसा संभव नहीं हो पाता था। जब कोई साथ दे देता या अपने साथ बाहर लेकर जाता तभी वह घूम फिर पाता था। एक दिन गोविंद को शासन द्वारा दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्रायसिकल दिये जाने की योजना की जानकारी लगी,उसने समाज कल्याण विभाग के माध्यम से आवेदन दिया। आवेदन की जांच के बाद गोविंद को मोटराइज्ड ट्रायसिकल मिल गई हैं। और

इसने गोविंद की मानों दुनिया ही बदल दी हैं।

रायपुर जिले के रामकुंड इलाके का निवासी गोविंद लाल साहू ने बताया कि वह बचपन से ही दोनों पैर से निःशक्त है। उसकी इच्छा होती थी कि वह भी सामान्य इंसानों की तरह बाहर घूमने फिरने जाये। लेकिन निःशक्तता की वजह से कही भी नही जा सकता था और अपनी गरीबी की वजह से मोटराइज्ड ट्रायसिकल नहीं ले सकता था। उसने बताया कि कुछ समय तक वह हाथ से चलाने वाला ट्रायसिकल में चलता था, लेकिन इससे केवल कुछ दूर ही चल पाता था, क्योकि इसे चलाने पर हाथों में दर्द होता था। उसने बताया कि मोटराइज्ड ट्रायसिकल को बस बैटरी चार्ज करना पड़ता है। फिर बटन दबाते ही 10 से 20 किलोमीटर तक का सफर आसानी से किया जा सकता है। अब वह शहर से गांव तक की दूरी तय कर सकता है। गोविंद ने बताया कि कुछ माह पहले ही उसने विवाह किया है। घर से कुछ दूर एक दुकान में मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है,जिससे उसको कुछ आमदनी हो जाती है।

गोविंद ने शासन द्वारा दिव्यांगों को निःशुल्क में प्रदान किये जा रहे मोटराइज्ड ट्रायसिकल की सराहना करते हुये कहा कि शासन ने उसकी जिंदगी के कठिन सफर को बहुत आसान बना दिया है। गोविंद को हाल ही में राज्यस्तरीय ई-मेगा कैम्प में कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन और जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रामकुमार तिवारी के हाथों समाज कल्याण के माध्यम से ट्रायसिकल निःशुल्क दिया गया।

खुद को अविवाहित बताकर युवती ने की दुबारा शादी, फिर भागी

■ शादी के तीन वर्ष बाद पूर्व पति के साथ ससुराल से भागी, 420 का मामला दर्ज

■ पूर्व पति पहले से ही है शादीशुदा

नव प्रदेश संवाददाता

रायपुर। शादी शुदा महिला ने सामाजिक पत्रिका में विवाह का प्रकाशन कराकर पुनःसमाजिक रीति रिवाजों से शादी कर लिया। घटना की जानकारी मिलने पर पति ने रिपोर्ट दर्ज करायी। आरंग पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम मर्रा पाटन जिला दुर्ग निवासी विद्यासागर विक्रम देशलहरे 34 वर्ष पिता मनराखन देशलहरे ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि प्रार्थी पेशे से शिक्षाकर्मी है।

समाजिक पत्रिका में विवाह के लिये दिये गए फोटों व बायोडाटा देखकर पत्रिका में दर्ज मोबाईल नंबर पर संपर्क करने के बाद सुशितमा डहरिया पिता स्व.सोनेचंद डहरिया ग्राम कागदेही पोस्ट समोदा आरंग रायुपर से 10 मार्च 2019 को समाजिक रीति रिवाजों के अनुसार शादी हुआ।

शादी के कुछ दिनों बाद पता चला कि जगत खंडेलवाल जो बेरोजगार है, उसकी पत्नी का संबंध है व 04.10.2016 को आर्य समाज मंदिर बैजनाथ पारा रायपुर में शादी पीड़ित की पत्नी पहले भी शादी कर चुकी है। पत्रिका में सुशितमा ने स्वयं को कागदेही निवासी बताया था, लेकिन बाद में पता चला की वह हरदीडीह में रहती है। वहीं जगत खंडेवाल पहले से ही शादी शुदा है व उसकी पत्नी व बच्चे तथा नाती भी है व परिवार सहित बहानाकाड़ी में रहता है। सुशितमा डहरिया शासकीय प्राथमिक शाला जुनवानी विकासखंड पलारी जिला बलौदाबाजार में सहायक शिक्षिका पंचायत के पद पर पदस्थ होने के चलते बहाना बनाकर शादी के बाद से ही अपने मायके में मां के साथ रह रही थी। वही विद्यासागर विक्रम शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मोहरा विकासखंड गुरुर जिला बालोद में शिक्षक पंचायत के पद पर पदस्थ है होने की वजह से दोनों एक साथ नही रह पा रहे थे। पीड़ित छुट्टियों में ही उसके घर जा पाता था। शादी के बाद से ही सुशितमा उसके साथ दुरव्यवहार करने लगी,जिसके बाद शंक होने पर अपने साथ चलने कहने पर पति के साथ जाने से इंकार कर रही थी। परिवार वालों के समझाने पर ससुराल जाने के बाद भी वह जगत खंडेवाल के साथ व्हाटसएप्प पर मैसेज करती थी व कॉल करती थी,पति द्वारा इसका विरोध करने पर वह 20 मई 2020 को जगत खंडेवाल के साथ भाग गई। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने महिला व जगत खंडेवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।

संपादकीय

कोरोना की दूसरी लहर से ज्यादा खतरा

दुनिया के कई देशों में कोरोना की दुसरी लहर ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है, इंग्लैंड सहित कई यूरोपीय देशों में फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है। भारत में भी कोरोना वायरस से ग्रसित मरीजों की संख्या अचानक बढ़ने लगी है। पिछले एक सप्ताह से कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी देखी जा रही थी औसतन 40 हजार नए मामले सामने आ रहे थे लेकिन अब फिर 50 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे है। पिछले 24 घंटों के दौरान 50 हजार से अधिक नए मामले सामने आए है जिसमें सबसे ज्यादा 1003 मामले छत्तीसगढ़ में दर्ज किए गए है। नई दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, केरल व महाराष्ट्र में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। निश्चित रूप से यह चिंता की बात है। देश की राजधानी नई दिल्ली में तो एक बार फिर कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आईसीयू में बेड की कमी होने लगी है। अन्य राज्यों में भी कमोवेश यही स्थिति है। ठंड के मौसम में भारत में भी कोरोना की दूसरी लहर चलने की जो संभावना विशेषज्ञों ने व्यक्त की थी वह सही हो रही है। ठंड अभी शुरू ही हुई है कि कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। आगे चलकर ठंड और बढ़ेगी तो जाहिर है कि कोरोना संक्रमितों की संख्या में भी और इजाफा होगा इसलिए यह आवश्यक है कि कोरोना को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरती जाएं। खासतौर पर दीपावली पर्व के दौरान सतर्कता बरतने की सख्त जरूरत है इस बारे में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने 18 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को एक नोटिस जारी कर के उनसे उन राज्यों की वायु गुणवत्ता के बारे में ब्यौरा तलब किया है। एनजीटी ने कहा है कि दीपावली के दौरान पटाखे जलने से प्रदूषण और ज्यादा फैल सकता है और इसका कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वास्थ्य पर विपरित असर पड़ सकता है। इसी वजह से पहले राजस्थान ने और फिर ओड़िसा ने पटाखों की खरीद फरोक्त पर रोक लगा दी है। एनजीटी ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तामिलनाडु, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना आदि राज्यों को नोटिस जारी कर के उनसे जानकारी मांगी है कि इन राज्यों में वायु गुणत्ता का स्तर कैसा है और उसमें सुधार के क्या उपाय किए जा रहे है। दीपावली के दौरान प्रदूषण को रोकने उनके पास क्या एहतियाती याजनाएं है। ताकि उन राज्यों के साथ पड़ौसी राज्यों की हवा खराब न हो और वहां की जनता को प्रदूषण का खमियाजा न भुगतना पड़े। उम्मीद की जानी चाहिए की एनजीटी की इस नोटिस को संबंधित राज्य सरकारें गंभीरता से लेंगी।

विचार

आईएमएफ की सलाह

महामारी और खासकर उससे उपजी आर्थिक चुनौतियों का सामना करने का जो मिला-जुला प्रयास अब तक दिखा है उसमें भी जी-20 की अहम भूमिका रही है। आईएमएफके इस ब्लॉग में यह बात रेखांकित की गई है कि जी-20 देशों की अभूतपूर्व और त्वरित कार्रवाई ने संकट को और गहरा होने से रोका। आईएमएफ ने जी-20 देशों को आगाह किया है कि कोरोना वायरस का संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है, लिहाजा सरकारों को अपनी तरफ से किए जा रहे खर्चों में कमी लाने के बजाय उन्हें और बढ़ाकर लोगों का रोजगार बचाने की फिक्र करनी चाहिए। आईएमएफके वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से यह सामयिक सलाह सोमवार को प्रकाशित एक ब्लॉग के रूप में आई, जिसका शीर्षक था- 'संकट समाप्त नहीं हुआ है, (समझदारी से) खर्च करना जारी रखें'। यह सलाह ऐसे समय आई है जब जी-20 देशों के शिखर सम्मेलन की तैयारियां चल रही हैं। यह सम्मेलन 21 और 22 नवंबर को सऊदी अरब की राजधानी रियाध में होने वाला है। जी-20 आज की तारीख में सही मायनों में पूरी दुनिया की नुमाइंदगी करने वाला सबसे ताकतवर ग्लोबल आर्थिक मंच है। 19 देशों और यूरोपीय यूनियन की सदस्यता वाले इस ग्रुप के देश संसार की दो तिहाई आबादी, 80 फीसदी व्यापार और 90 फीसदी जीडीपी को कवर कर लेते हैं।

हमारा देश मध्यप्रदेश.....!

हमारा देश मध्यप्रदेश खुशहाली का प्रतीक है झरना,नदियां बहती रहतीं हमारा मध्यप्रदेश है। जहां उज्जैन महाकाल हो वहां महाकुम्भ की ज़य-ज़य कार हो इस भारत की अनुपम मिट्टी में हमारा मध्यप्रदेश है। शिक्षा,कला और लोक न्रित्य उद्यांनो में एक है ग़ई,मांच और कहरवा फ़ग गायन में विशेष है हमारा मध्यप्रदेश है। 14 ज़िलों में ककरेखा अमरकंटक का नाम है कपिल,दुग्ध और ओंकारेश्वर मां नर्मदा का विशेष सम्मान है विंध्यांचल की छाया ऐसी अविरल रूप प्रदेश है हमारा मध्यप्रदेश है। लिली पुष्प से प्यार है इसको सांची का स्तूप है 1 नवम्बर 2000 को नव निर्माण बना प्रदेश है खजुराहो की कला से बना हमारा मध्यप्रदेश है। जलवायु से बनी कसौटी मानसून की भरमार है सोयाबीन की खेती होती बुलबुल की पहचान है सुहागपुर में कोयला,बाधवगढ़ बांधो का प्रतीक है जहां नर्मदा परिचय देती हमारा मध्यप्रदेश है।। नदियों का मायका सोया स्टेट और ह्रदय प्रदेश है82'5 डिग्री एक मात्र सिगरौली जिला देता यह संदेश है चम्बल चूलिया जल प्रपात सोन नदी की नहरें हैं मां शारदा का सौंदर्य रूप है हमारा मध्यप्रदेश है। सतपुड़ा,मैकाल श्रेणी और प्रायद्वीपीय नदियां हैं सर्पाकार और कर्क रेखा सब एक जैसी नदियां हैं पश्चिम दिशा प्रवाहतंत्र 41 सहायक नदियां हैं खम्भात की खाड़ी इनका मुहाना ड़ेल्टाई प्रदेश है हमारा मध्यप्रदेश है।

- गजेन्द्र सिंह गज्जू

ब्लैक हार्टेड महबूबा

श्याम सुंदर भाटिया

> महबूबा कश्मीर के युवाओं को भी उग्र करने वाली भाषा बोल रही हैं। बोलीं, कश्मीरी युवाओं को सुरक्षित रखने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। पहले जो कानून बनाए गए थे, जनता से सलाह ली गई थी। वे अवाम को सहूलियत देने वाले कानून थे, लेकिन अब जो कानून कश्मीरियों पर थोपे जा रहे हैं, उनसे युवा को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम इसे कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। पीडीपी नेता मानती हैं, पांच अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त कर जम्मू-कश्मीर के लोगों को अवैध और असवैधानिक तरीके से शक्तिहीन कर दिया है। यह बदलाव हमें कतई मंजूर नहीं है। इसके खिलाफ लामबंद होकर लड़ाई लड़ी जाएगी। युवाओं से मुखातिब महबूबा ने कहा, हमने अपना जीवन जी लिया है। अब हमें युवाओं और उनके बच्चों के बारे में सोचना होगा। धमकी सरीखे लहजे में बोलीं, हमारे युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं।

कश्मीर की फ़िज़ा बदली-बदली सी है। हवा जहरीली है। शब्द कठोर हैं। सूबे के नजरबंद नेताओं को भले ही आजाद कर दिया गया हो, लेकिन उनके मंसूबे बेहद खतरनाक हैं। इनमें महबूबा मुफ्ती खूब आग उगल रही हैं। अनुच्छेद 370 और 35ए की विदाई के बाद सूबे में तेजी से बहाल हो रहे अमन पर पलीता लगाने की कोशिश हो रही है। गुपकार की छतरी के नीचे सारे मुखालिफ लामबंद हो रहे हैं। गुपकार का लीडर नेशनल कांफ्रेंस के फ़ारुक़ अब्दुल्ला को चुन लिया गया है। वह 370 की बहाली के लिए चीन की शरण में जाने को आतुर हैं तो पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की जुबां विषैली और तेवर भी देशद्रोह की मानिंद हैं। आपा तक खो बैठी हैं। कहती हैं, डाकुओं ने डाके में हमारा झंडा छीन लिया है। कश्मीर के पुराने स्टेटस की बहाली होने तक तिरंगा नहीं उठाऊंगी। चुनाव लड़ने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। जम्मू-कश्मीर को पुराना दर्जा वापस दिलाने में जमीं-आसमां एक कर देंगे। महबूबा के तल्ख तेवर यहीं नहीं थमे, बोलीं, भारत सिर्फ जम्मू-कश्मीर की जमीन चाहता है, वहां के लोग नहीं। कश्मीरी युवाओं को भी जमकर भड़का रहीं हैं। कहती हैं, कश्मीरी युवाओं को सुरक्षित रखने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत गुपकार के इन नेताओं- विशेषकर फ़ारुक़ अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के आग उगलने वाले बयानों को राष्ट्रद्रोह श्रेणी में मानते हैं। ये चीन की मदद से कश्मीर में धारा 370 लागू कराना चाहते हैं। श्री राउत ने केंद्र सरकार से अपील की है, इन नेताओं के खिलाफ केंद्र को जल्द से जल्द और बेहद कठोर कानूनी शिकंजा कसना चाहिए ताकि कश्मीर में हिंसा का पुराना दौर लौटकर न आए। करीब 14 महीने की हिरासत के बाद रिहा हुई जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सियासी गतिविधियां शुरु कर दी हैं। फर्स्ट टाइम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई महबूबा ने घोषणा की है, पीडीपी जम्मू-कश्मीर को वही दर्जा वापस दिलाने में जमीन-आसमान एक कर देगी। वह अनुच्छेद 370 फिर से लागू होने तक कोई और झंडा नहीं उठाएंगी। पीसी के दौरान टेबल पर जम्मू-कश्मीर के झंडे के साथ पार्टी का झंडा रखा हुआ था, जबकि अनुच्छेद 370 हटने के साथ ही पूरे जम्मू-कश्मीर में सिर्फ तिरंगा फहराने की अनुमति है। जम्मू-कश्मीर के झंडे की तरफ इशारा करते हुए बोलीं, जब तक मेरा झंडा हमारे पास वापस नहीं आ जाता, मैं कोई भी दूसरा झंडा-तिरंगा नहीं उठाऊंगी। फिलहाल मेरा झंडा मेरे सामने है। महबूबा के इस रुख पर बीजेपी ने फौरी अपनी गहरी नाराजगी जता दी है। राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री कवींद्र गुप्ता ने कहा, वह जमाना चला गया, जब दो झंडे हुआ करते थे। बीजेपी का वादा था, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान और हमने सत्ता में आने पर उसे पूरा किया। ये लोग पता नहीं, कौन से वहम में जी रहे हैं। इनको भी चाहिए, जम्मू-कश्मीर के झंडे को अब उतार फेंके। पूरे भारत का एक ही झंडा है और वह है तिरंगा। उन्हें भी तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले जम्मू-कश्मीर का अपना अलग संविधान था। वहां के नियम कायदों के साथ झंडा भी पूरे देश से अलग था। जम्मू-कश्मीर के सरकारी कार्यालयों में राज्य के झंडे के साथ तिरंगे को फहराया जाता था। हालांकि अनुच्छेद 370 हटने के साथ ही जम्मू-कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा खत्म हो गया। भारतीय संविधान के वहां लागू होते ही राज्य का झंडा भी निष्प्रभावी हो गया।

अतीत में उनकी पार्टी ने पुलिस कार्यबल की कथित ज्यादतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आतंकवादियों का आत्मसमर्पण कराया, लेकिन अब पार्टी जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली पर ध्यान केंद्रित करेगी।

पाक और चीन के प्रति महबूबा का प्रेम किसी न किसी बहाने छलक ही जाता है। कहती हैं, पीडीपी का हमेशा एजेंडा रहा है, जम्मू-कश्मीर अमन का पुल बनना चाहिए। अपने वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद का स्मरण करते हुए बोलीं, मुफ़्ती साहब का ख्वाब रहा है कि जम्मू-कश्मीर को हिंदुस्तान और हमसाया मुल्क- पाकिस्तान और चीन के बीच पुल बनाना होगा। केंद्र सरकार को वही फॉर्मूला अपनाना होगा। महबूबा नजरबंदी से मुक्ति के बाद से कभी नरम तो कभी गरम तेवर अपनाती रहती हैं। महबूबा पानी पी-पीकर कभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तो कभी भारतीय जनता पार्टी को परोक्ष और अपरोक्ष रुप से निशाना बनाती रहती हैं। महबूबा कहती हैं, बीजेपी जम्मू-कश्मीर के संसाधन लूट कर ले जाना चाहती है। सवाल पूछा, बीजेपी ने गरीब को दो वक्त की रोटी नहीं दी, वह जम्मू-कश्मीर में जमीन क्या खरीदेगा दिल्ली से रोज एक फ़रमान जारी होता है, अगर आपके पास इतनी ताकत है तो चीन को निकालो, जिसने लद्दाख की ज़मीन खाई है, चीन का नाम लेने से तो थरथराते हैं। जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली के लिए लगभग सात सियासी दलों का गुट- पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लरेशन इन दिनों जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कवायद में जुटा है। गुट जनता तक पहुंचने के लिए रणनीति बना रहा है। गुपकार गुट पंचायत और डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट काउंसिल के चुनावों में हिस्सा लेने की संभावना भी तलाश रहा है। यह चुनाव जल्द होने हैं। हालाँकि गुपकार नेताओं के लिए यह भ्रम की स्थिति है। कभी उमर अब्दुल्ला तो कभी महबूबा कहती हैं, चुनाव नहीं लड़ेंगे। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के आवास पर गुपकार अलायंस की हुई बैठक में जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फ़ारुक़ अब्दुल्ला को गुट का चेयरमैन तो महबूबा मुफ़्ती वाइस प्रेसिटेंट चुनी गईं। उल्लेखनीय है, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पास करके जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करके उसे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख नाम के दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। बीजेपी सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दाखिल हैं। महबूबा की सोच है, भाजपा देश के संविधान को बदलकर अपना घोषणापत्र थोपना चाहती है लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। हिटलर जैसे कई लोग आए और चले गए । यह तानाशाही नहीं चलेगी। क्या 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद गठबंधन कर भाजपा को ताकत प्रदान करने के पीडीपी जिम्मेदार नहीं है तो वह कहती हैं, कश्मीर का विशेष दर्जा विधानसभा या जम्मू-कश्मीर सरकार ने समाप्त नहीं किया, बल्कि संसद ने किया है। अगर कोई अफसोस है तो यह है, हमने उसी पार्टी के प्रधानमंत्री पर विश्वास किया, जिससे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाता था। हमें भरोसा था कि वह संविधान का अनादर नहीं करेंगे। कौन जानता था कि वह तब ऐसा करेंगे, जब उनके पास पूर्ण बहुमत होगा।

शाहबानों से शाहीन बाग तक मातृशक्ति की गलत व्याख्या

प्रवीण गुगनानी

> संस्कृति का जैसा झंडा प्रयागराज नामकरण के कोर्ट केस मे इस सेकुलर टीम ने उठाया था, लोकतंत्र का वैसा ही झंडा अपने लेख मे श्रीमती सोनिया गांधी ने उठाया है। समूचे देश के लोकतंत्र को उठाकर दिल्ली के एक कमरे मे बंद कर देने वाली इन्दिरा जी की वंशज, दो ढ़ाई दशक मे अपनी पार्टी मे परिवार से इतर एक अदद अध्यक्ष तक को विकसित न कर पाने वाली महिला लोकतंत्र के लिए लेख लिखे तो इस प्रकार के किस्से स्मरण आना स्वाभाविक ही है। मुझे आश्चर्य है कि इस लेख मे दर्जनों बार लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस अध्यक्ष को पल भर के लिए भी आपातकाल के अत्याचार और आपातकाल मे बंद किए हुये भारत के दिग्गज जननेताओं की याद न आई।

सोनिया गांधी ने पिछले दिनों एक राष्ट्रीय समाचार पत्र मे एक लेख लिखा है। इस लेख मे वैसे तो कई कई विडंबनापूर्ण बाते हैं किंतु मैं मुख्यतः दो विषयों पर केंद्रित कर पाया हूं। एक देश मे लोकतंत्र की हत्या व दूजा विषय है देश की समूची मातृशक्ति की अस्मिता, कार्यक्षमता व आगे बढ़ने को शाहीन बाग जैसे बदनुमा दाग से जोड़ना। भारतीय नारी को शाहीन बाग जैसे प्रेरणा बिंदु दिखाना किसी श्रीमती गांधी के बस की बात नही हो सकती, यह केवल केवल और केवल किसी एंटोनियों माइनो के बस मे ही हो सकता है। वैसे तो यह लेख क्या है नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली के हज जाने की हसरत की दास्तां है। इस दास्तां को पढ़कर पिछले दिनों हुआ एक दिलचस्प किस्सा याद आ गया। हुआ यह कि उत्तरप्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इलाहाबाद जिसे अंग्रेजी मे आज भी अल्लाहाबाद लिखा जाता है; का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। मुस्लिम आक्रमणकारी अकबर द्वारा रखे गए गुलामी के प्रतीक इस नाम को बदलकर भारतीय संस्कृति से जुड़ा नामकरण करने से देश के कांग्रेसी, कम्युनिस्ट, सेकुलरों व तथाकथित बुद्धिजीवियों के पेट मे मरोड़ उठना स्वाभाविक ही था। मरोड़ उठा भी, पेट दर्द हुआ भी किंतु इस बार सेकुलरों की शैली कुछ अलग थी। वे उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालय मे इस नामकरण के विरुद्ध याचिका लेकर गए किंतु इस बार वे नीले सियार बनकर कोर्ट गए अर्थात सांस्कृतिक झंडा उठाकर गए। कांग्रेसी व कम्युनिस्टों की जो गैंग प्रयागराज नामकरण के विरुद्ध न्यायालय गई थी उन्होने बड़ा ही हास्यास्पद व शर्मनाक तर्क रखा कि इलाहाबाद या अल्लाहाबाद नाम अकबर द्वारा दीन ए इलाही धर्म के नाम पर नहीं रखा गया था बल्कि यह नाम तो ऋषि मनु की सुपुत्री इला के नाम पर रखा गया था अतः इस नाम को न बदला जाये और भारतीय संस्कृति की रक्षा की जाये। इस प्रकार इलाहाबाद नाम को बनाए रखने के पक्ष मे उन ऋषि मनु का नाम ले आया जिन्हे इन सेकलरों ने पानी पी पी कर अब तक करोड़ो गालियां दी है और करोड़ों देने

वाले हैं। तात्पर्य यह कि ये कथित सेकुलर कांग्रेसी और कम्युनिस्ट भारतीय संस्कृति के विरोध के लिए सांस्कृतिक आधारों व तर्कों का उपयोग भी बड़ी भली भांति ही नहीं बल्कि बेशर्मीपूर्वक कर सकते हैं। यह लेख भी इलाहाबाद नाम के पक्षधरों की भांति ही अपनाया गया एक पैतरा मात्र है।

शाहीन बाग के विरोध प्रदर्शन मे जिसमें कांग्रेस बड़े ही हिचक-ठिठक कर कभी सम्मिलित दिखने का प्रयास करती थी तो कभी दूरी बनाती थी किंतु अंततः वह शाहीन बाग का एक केंद्रबिंदु बन गई थी। शाहीन बाग जैसे देश के सर्वाधिक विवादित प्रदर्शन के विषय मे सोनिया गांधी ने जो लिखा है वह इस देश की मातृ शक्ति के इतिहास को लज्जित करने वाला है। सोनिया जी ने लिखा कि - The protests at Shaheen Bagh and at other countless sites across the country demonstrated how dominant male power structures can be persuaded to play a supporting role, leaving the centre stage to women. शाहीन बाग और देश भर के अन्य अनगिनत स्थलों पर हुए विरोध प्रदर्शनों ने दिखाया कि महिलाओं को केंद्र में रखकर किस तरह पुरुष सत्ता संरचनाओं को सिर्फ एक सहायक भूमिका में रखा जा सकता है। इटली से पधारी श्रीमती सोनिया गांधी, आपको अब तक भारतीय मातृशक्ति की मर्यादा, महिमा व ममता तीनों का आभास नहीं हो पाया है। भारत मे नारीशक्ति प्रारंभ से समाज के केंद्र मे है। आपने सच ही लिखा है कि शाहीन बाग ने सिद्ध किया कि किस प्रकार महिलाओं द्वारा पुरुषों को साइडलाइन किया जा सकता है। शाहीन बाग का नेतृत्व परोक्ष अपरोक्ष रूप से आपके नेतृत्व मे जो लोग कर रहे थे उनसे भारतीय समाज मे इस प्रकार के वर्ग संघर्ष फैलाने के अतिरिक्त कोई आशा भी नही की जा सकती। मैं आपके समक्ष दावा कर सकता हूं कि कोई प्रगतिशील से भी प्रगतिशील भारतीय नारी परूषों को साइडलाइन करने का कार्य नहीं करती बल्कि परिवार, समाज व राष्ट्र को स्त्री-पुरुष के समन्वय के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करती है। कतई आश्चर्य न हुआ कि सोनिया जी ने भारतीय मातृशक्ति के जागरण हेतु रानी लक्ष्मीबाई, चेनम्मा, दुर्गावती जैसे सैकड़ों नामों को छोड़कर शाहीन बाग मे बैठी बदनाम महिलाओं का नाम लिया। राष्ट्रीय प्रतीको के प्रयोग के विषय मे भी आपकी मानसिकता सम्मान की नहीं अपितु यूज एन थ्रो की लगती है।

पाठकों की बात | पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

ग़म ए जुदाई

ग़म ए जुदाई सहा नहीं है। कि इश्क़ तुमको हुआ नहीं है।। विसाल अपना न हो सका पर। नसीब का फ़ैसला नहीं है।। निग़ाहों ने की कुबूल चाहत। ज़ुबाँ ने तो कुछ कहा नहीं है।। फ़क़त सताने की कोशिशें जाँ। अदावतें है अदा नहीं है।। है ज़िंदगी यूँ तो खूबसूरत। बिना तुम्हारे मजा नहीं है।। तुम्हें यकीं है भला नहीं पर। अनिल यूँ इतना बुरा नहीं है।

- अनिल शर्मा

पिछले चुनाव में

पिछले चुनाव में राजद के साथ थे नीतीश कुमार। साइकिल पर चली जा रही बिहार की बेटियों को रोक-रोक कर स्टोरी बनाते हुए लहालोट हो रहे थे रवीश। देखा होगा आपने। इस बार भी नीतीशे सीएम हैं। वे भाजपा के साथ हैं तो घर से ही रवीश का लाइव रोना सुन-सुन कर घड़ियाल शरमा जाय। ग़लत तो नहीं कहा न।

- पंकज कुमार झा

ख़ास पाती | उबटन की तरह उतार कर रख

उबटन की तरह उतार कर रख दी हैं पीड़ाओं की मैली बत्तियां मैंने, और विश्वास दिला दिया है खुद को, कि अब कभी मैला नहीं होने दूंगी... अंतर्मन में बसी... उम्मीदों भरी उस आस को जिसके बलबूते पर ही तय कर पाई हूं. मैं, सपनों का ये खुशनुमा सफ़र.. माना कि मंज़िल बाकी है अभी, पर पीछे मुड़कर नहीं देखना मुझे, जहां अवहेलनाओं के तीक्ष्ण बाणों से छलनी हुआ था कलेजा मेरा, रख कर भूल गई हूं अतीत के कोटर में वो सारी कड़वी यादें आने वाले सुखद पलों की अमिट.. निशानियाँ, सहेजकर रख लूंगी अपने भीतर अब मैं! **- निधि मुकेश भार्गव मानवी**

वो गरीब थी भूखी पेट में

वो गरीब थी भूखी पेट में भूख की आग थी जिसे रोटी से बुझना था -- वो अमीर था उसके पास रोटी थी पर उसके पास वासना के आग की भूख थी पेट की भूख और वासना की भूख ने आपस में समझौता किया और भूख मिट गयी दोनों की बगल की झोपडी में आग लग गयी थी और आग को पानी से बुझना था वो अभिनेत्री थी उसमे ईर्ष्या की आग थी जिसे परपंच से बुझना था वो अभिनेता था उसमे अहंकार की आग थी जो उसके रूखे व्यवहार से ही बुझती थी आग तेरे कितने रूप।

-सीमा राय द्विवेदी

महान बनने वाले व्यक्ति के पीछे का

महान बनने वाले व्यक्ति के पीछे का इतिहास यदि विवादास्पद होगा तो सत्ता धारी उसकी महानता की बखिया उधेड़ने ÷विवादास्पद÷मुद्दे का व्यापक अध्ययन करेंगे ही अनुभव कहता है कि महान तभी बनो जब पीछे कोई काला सच छुपा के नही बैठे हो।

- संत आर थवाईत

जानते हो न... नहीं भाता मुझे अपने

जानते हो न... नहीं भाता मुझे अपने हाथों को मेहंदी से सजाना, फिर भी लगा लेती हूँ हर बार तुम्हारे नाम की मेहंदी, महसूस कर लेती हूँ तुम्हारी खुश्बू अपने इन रचे हुए हाथों में, तुम्हारे साथ होने का सुख ही मेरे मन को सभी श्रृंगारों से भर देता है नहीं ज़रूरत रहती फिर किसी बाहरी बनावटी श्रृंगार की, मेरी सादगी ही भाती है तुम्हें और मुझे भी तुम्हारा ये सादापन पर फिर भी इन रस्मों के बहानेतुम्हें खुद के क़रीब कर लेती हूँ...!

-चारु अग्रवाल

चाँद को साक्षी रख कर, आव्हान

चाँद को साक्षी रख कर, आव्हान पति से है, एक दूजे की परवाह करना, अरमान पति से है, मीठे बोल और सम्मान करना, वचन पति से है, दाम्पत्य जीवन में चमक, रोशन पति से है, करवा चौथ पत्नी को, यही सिखाता है, जीवन में अटूट बन्धन का, विश्वास पति से है।

- संगीता राठी

बदली सत्ता, बदले लोग काले

बदली सत्ता, बदले लोग, काले-गोरे-उजले लोग.. कुर्सी उतरी, चेहरे उतरे, उतर गए हैं पिछले लोग.. साहब की जय बोल रहे हैं, कंघी लेकर टकले लोग.. ठंडे होकर बैठ गए हैं, थोड़े दिन तक उछले लोग.. सबकुछ वैसा का वैसा है, रोती ममता, कुचले लोग। **- निश्चय वाजपेयी**

हाथ से हाथ उनका छूटता

हाथ से हाथ उनका छूटता गया,प्यार पर से भरोसा उठता गया। जग अनोखा,रीत अनोखी सी है। बिन बात जमाना ये रूठता गया। हम छुपाते रहे,अश्क़ छुप न सके। सब्र तो सब्र था , वो टूटता गया। सारे रिश्तों के मोती सहेजे थे हम, एक एक कर मोती फूटता गया।

- शोभा किरण

QUIZ TIME

1) देवउठनी एकादशी किस माह में मनाया जाता है?(भादो / कार्तिक)
2) छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रोग्रास हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहां किया गया है?
3) छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के समय 'सत्याग्रह आश्रम' की स्थापना किसने की थी?
4) 'बायर' का प्रचलन किस अंचल में है?
5) पावर लिफ्टर का नाम बताइए जो वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग में दो गोल्ड मेडल जीता है?

Ramaquiz

उत्तरमाला- (1) कार्तिक (2) राजनांदगांव (3) पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (4) सरगुजा (5) नमी राय पारेख

आज का इतिहास

नई दिल्ली (वार्ता)। 1763 : ब्रिटिश सेना ने मीर कासिम को पराजित कर पटना पर कब्जा किया। 1813 : मैक्सिको ने स्पेन से स्वतंत्रता हासिल की। 1844 : स्पेन ने डोमिनिकन गणराज्य को स्वतंत्र किया। 1860 : अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति चुने गए। 1903 : अमेरिका ने पनामा के स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की। 1913 : महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीतियों के खिलाफ 'द ग्रेट मार्च' का नेतृत्व किया। 1913 : दक्षिण अफ्रीका में भारतीय खनन मजदूरों की रैली का नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया। 1935 : एडविन आर्मस्ट्राँग ने न्यूयार्क के रेडियो इंजिनियरों के सम्मेलन में अपने शोध के जरिए रेडियो सिग्नल के प्रसारण में आ रही रुकावटों को कम करने संबंधी जानकारी दी। 1937 : लोकसभा सदस्य यशवंत सिन्हा का जन्म हुआ था। 1943 : दूसरे विश्व युद्ध के दौरान में जापान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सौंपे। 1962 : राष्ट्रीय रक्षा परिषद की स्थापना हुई। 1985 : हिंदी फिल्म अभिनेता संजीव कुमार का निधन हुआ। 1990 : नवाज शरीफ़ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। 1994 : अफ़ग़ानिस्तान के बुरहानुद्दीन रब्बानी गुट द्वारा संयुक्त राष्ट्र अफ़ग़ान शांति योजना को स्वीकृत किया गया। 1998 : सियाचिन में युद्धविराम का भारत का प्रस्ताव पाकिस्तान को नामंजूर था। 2004 : रूस ने क्योटो करार की पुष्टि की। 2008 : स्टेट बैंक ऑफ़इंडिया ने प्रधान ब्याज दर (जीएलआर) और जमादारों के कटौती की घोषणा की।

अनुष्का ने खास अंदाज में मनाया विराट का बर्थडे

नई दिल्ली। इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली इन दिनों आईपीएल मैच के लिए दुबई में हैं। उनके साथ पत्नी अनुष्का शर्मा भी हैं जो जल्द ही मां बनने वाली हैं। बीती रात विराट कोहली ने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया। इस दौरान अनुष्का शर्मा भी उनके साथ नजर आईं। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि विराट बर्थडे केक काटते हुए नजर आ रहे हैं। अनुष्का उन्हें केक खिलाकर बर्थडे विश करती हैं। वहीं विराट, अनुष्का के गाल पर किस और फिर उन्हें हग करते दिख रहे हैं। वीडियो में अनुष्का शर्मा अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। इस सेलिब्रेशन के मौके पर आईपीएल 2020 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरू की कप्तानी कर रहे वरिाट की टीम भी शामिल थी। बताते चलें कि विराट, अनुष्का की प्रेग्नेंसी के दौरान उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो सामने आया था, जिसे दोनों के फैन क्लब ने शेयर किया। वीडियो में विराट प्लेयर्स के साथ ग्राउंड में होते हैं और वहीं से इशारों में अनुष्का से पूछते हैं कि उन्होंने खाना खाया विराट का अनुष्का का ऐसे केयर करना फैन्स को बहुत पसंद आया।

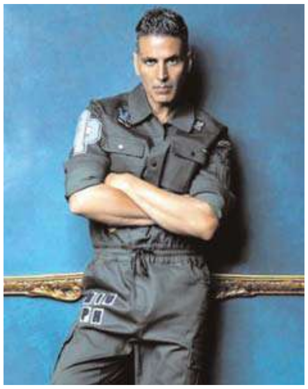

लक्ष्मी का नया गाना बमभोले हुआ रिलीज

मुंबई (वार्ता)। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म 'लक्ष्मी' का नया गाना बमभोले रिलीज कर दिया गया है।

राघव लॉरेंस के निर्देशन में बनीं 'लक्ष्मी ' में अक्षय कुमार ने ट्रांसजेंडर का किरदार निभाया है। हॉरर-कॉमेडी 'लक्ष्मी' में कियारा आडवाणी भी नजर आएंगी। यह फिल्म तमिल की सुपरहिट फिल्म 'कंचना' का हिंदी रीमेक है। पहले इस फिल्म का नाम 'लक्ष्मी बम' रखा गया था लेकिन अब यह फिल्म 'लक्ष्मी' नाम से ओटीटी प्लेटफार्म डिज़्नी प्लस हॉटस्टार पर 09 नवंबर को रिलीज़ हो रही है। फ़िल्म 'लक्ष्मी' का नया गाना बमभोले रिलीज होते ही सबकी चर्चाओं का विषय बन गया है। अक्षय कुमार ने बमभोले गीत में अपने तांडव के साथ देश भर में लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। गणेश आचार्य द्वारा कोरियोग्राफ किए गए इस गाने में अक्षय कुमार 100 ट्रांसजेंडर्स के साथ डांस कर रहे थे। हर कोई अक्षय के नृत्य, लुक और गाने में उनके हावभाव की तारीफकरते नजर आ रहा है।

सर्कस में काम करने के लिये बेताब है जैकलीन

मुंबई (वार्ता)। बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री और पूर्व मिस श्रीलंका जैकलीन फर्नांडीस फिल्म 'सर्कस' में काम करने के लिये बेताब है। बॉलीवुड फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी, रणवीर सिंह को लेकर फिल्म 'सर्कस' बनाने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म 'सर्कस' एक कॉमेडी फिल्म होगी, जिसमें रणवीर सिंह के अलावा पूजा हेगड़े और जैकलीन फर्नांडीस लीड रोल में होगीं। जैकलीन जल्द ही 'सर्कस' की शूटिंग शुरू करेंगी। जैकलीन ने कहा, ऐसी फिल्में बनाना आसान नहीं है जो आपका मनोरंजन करे, आपको हंसाए और अच्छा महसूस कराए। रोहित शेट्टी ऐसे व्यक्ति है जिनका नाम मनोरंजक और कॉमर्शियल सिनेमा के बारे में सोचने पर सबसे पहले आता है। मैंने हमेशा उनकी फिल्मों को देखना एन्जॉय किया है और इसमें लगने वाली कड़ी मेहनत से पूरी तरह परिचित हूं। उनके साथ काम करने के लिए रोमांचित हूं और मैं उनके सेट पर जाने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग अगले महीने से मुंबई, ऊटी और गोवा में की जाएगी जिसे अगले साल विंटर सीजन में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को रोहित शेट्टी के साथ-साथ भूषण कुमार और रिलायंस एंटरटेनमेंट को-प्रोड्यूस कर रहे हैं।

गौहर खान ने ब्वॉयफ्रेंड जैद दरबार संग की सगाई

नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से गौहर खान और जैद दरबार के रिलेशनशिप में होने की चर्चा थी। अब एक्ट्रेस ने कन्फर्म करते हुए सोशल मीडिया पर एक स्पेशल फोटो शेयर की है। इससे पहले दोनों में से किसी ने भी रिलेशनशिप पर कोई कॉमेंट नहीं किया था, बल्कि दोनों एक-दूसरे को अच्छा दोस्त बताते थे। गौहर खान ने जैद दरबार संग अब फोटो पोस्ट कर कन्फर्म कर दिया है कि ये शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। कैप्शन में गौहर खान ने अंगूठी बनाई है और लिखा है कि 'मैंने हां कर दी है'। साथ में जैद दरबार भी खड़े नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह फोटो दोनों की सगाई की है। कुछ समय पहले दोनों की शादी की डेट सामने आई थी।

एनएमडीसी लिमिटेड और आईआईटी हैदराबाद ने डीप-टेक उद्यमियों को समर्थन देने के लिए इनक्यूबेशन और फैलोशिप कार्यक्रम शुरू किया

हैदराबाद। एनएमडीसी लिमिटेड ने आईआईटी हैदराबाद के साथ संयुक्त रूप से आज इनक्यूबेशन और फैलोशिप कार्यक्रम आरंभ किया है। नाइस प्रोग्राम (एनएमडीसी इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर) नामक यह पहल एनएमडीसी लिमिटेड और आई-टीआईसी फाउंडेशन के बीच एक संयुक्त कार्यक्रम है, यह आईआईटी हैदराबाद में एक स्टार्टअप सपोर्ट सिस्टम है जिसका उद्देश्य इनक्यूबेशन और फैलोशिप प्रदान करके डीप-टेक स्टार्टअप्स को समर्थन करना है। नाइस का उद्देश्य देश में उद्यमिता और नवाचार की भावना को बढ़ावा दे कर स्टार्टअप इंडिया आंदोलन का समर्थन करना है।

एनएमडीसी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक सुमित देब ने आईआईटी हैदराबाद के निदेशक प्रो. बीएस मूर्ति की उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस वर्चुअल कार्यक्रम में एनएमडीसी लिमिटेड के पीके सतपथी , निदेशक (उत्पादन) अमिताभ मुखर्जी, निदेशक (वित्त) आलोक कुमार मेहता, निदेशक (वाणिज्य), आई-टीआईसी फाउंडेशन के प्रभारी संकाय प्रो सूर्य कुमार एस तथा इनक्यूबेटेड स्टार्टअप्स, विद्यार्थी, संकाय सदस्य और संगठनों की टीम के सदस्यों ने भाग लिया।

नाइस पहल पांच वर्षीय एक संयुक्त कार्यक्रम है जो 15 फेलो और 15 स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता, परामर्श, सह-कार्य स्थान सुविधा, अन्य ढांचागत लाभ, और कई अन्य सुविधाएं प्रदान करेगा। एनएमडीसी द्वारा इस कार्यक्रम के कुल बजट 10 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

कार्यालय, नगर पालिक निगम रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-10, अमलीडीह सामुदायिक भवन पानी टंकी के पास,
Email: rmczone10@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 135/2020-21
वार्ड का नाम- कामरेड सुधीर मुखर्जी-54

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कामरेड सुधीर मुखर्जी-54 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 54/ 1343 जो कि निगम अभिलेख में श्री चंद्रहास साहू s/o पंचूराम साहू के नाम से दर्ज है, जिसको श्री नीलेश कुमार s/o कमलेश प्रसाद ने शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। **जोन कमिश्नर**
जोन क्र.-10
नगर निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-10, अमलीडीह सामुदायिक भवन पानी टंकी के पास,
Email: rmczone10@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 136/2020-21
वार्ड का नाम- रानी दुर्गावती- 50

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि रानी दुर्गावती- 50 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ सी/2 दुकान-2 ऐश्वर्या चेम्बर्स जो कि निगम अभिलेख में श्री सुनील कुमार खेतान s/o देवी प्रसाद खेतान के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती इंदिरा देवी खेतान w/o स्व. सुनील कुमार खेतान ने शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। **जोन कमिश्नर**
जोन क्र.-10
नगर निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-10, अमलीडीह सामुदायिक भवन पानी टंकी के पास,
Email: rmczone10@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 132/2020-21
वार्ड का नाम- डा. राजेन्द्र प्रसाद-52

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि डा. राजेन्द्र प्रसाद-52 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ सिन्धु वाटिका जो कि निगम अभिलेख में श्री अर्जुन हबलानी s/o स्व. भजन दास के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती मधु सिंह w/o श्याम सिंह 2. श्याम सिंह s/o गोपाल सिंह ने शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। **जोन कमिश्नर**
जोन क्र.-10
नगर निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-10, अमलीडीह सामुदायिक भवन पानी टंकी के पास,
Email: rmczone10@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 133/2020-21
वार्ड का नाम- डा. राजेन्द्र प्रसाद-52

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि डा. राजेन्द्र प्रसाद-52 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ एलआईजी-बीओ 7 पवन विहार जो कि निगम अभिलेख में श्री संदीप बोस s/o एस.के. बोस के नाम से दर्ज है, जिसको श्री निर्मल बंसतवानी s/o मुरलीधर बसंतवानी ने शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। **जोन कमिश्नर**
जोन क्र.-10
नगर निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम, जोन क्र. 5 रायपुर
ईदगाह भाठा, पानी टंकी, रायपुर (छ.ग.)
ph.No. 0771-40455819 Email rmczone5@gmail.com

ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

नामांतरण प्र.क्र.152 दिनांक 02.11.20
वार्ड का नाम वार्ड- भक्त माता कर्मा-67

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड-67 स्थित भवन ब्लाक बी-203 जो कि निगम अभिलेख में मेसर्स छत्तीसगढ़ प्रोजेक्ट इंडिया प्रा.लि. (वालफोर्ट हाइट्स) मार्फत 1. शिवानी चड्ढा w/o विजय 2. विजय s/o सुरेन्द्र चड्ढा के नाम से दर्ज है जिसको 1. श्रीमती शिवानी चड्ढा w/o विजय चड्ढा 2. विजय चड्ढा s/o एस.एम. चड्ढा ने रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन कमिश्नर
जोन क्रमांक-5
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम, जोन क्र. 5 रायपुर
ईदगाह भाठा, पानी टंकी, रायपुर (छ.ग.)
ph.No. 0771-40455819 Email rmczone5@gmail.com

ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

नामांतरण प्र.क्र.155 दिनांक 03.11.20
वार्ड का नाम वार्ड- भक्त माता कर्मा-67

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड-67 स्थित भूमि ख.नं. 218/23 जो कि निगम अभिलेख में आस्क रियल्टी एण्ड डेव्हलपर्स लि. द्वारा डायरेक्टर अनुराग नत्थानी काबिज मार्फत वन्य राजपूत के नाम से दर्ज है जिसको श्रीमती वन्या राजपूत पति संदीप कुमार राजपूत ने रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन कमिश्नर
जोन क्रमांक-5
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-10, अमलीडीह सामुदायिक भवन पानी टंकी के पास,
Email: rmczone10@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 137/2020-21
वार्ड का नाम- रानी दुर्गावती- 50

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि रानी दुर्गावती- 50 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ सी/3 साहनी विहार जो कि निगम अभिलेख में श्रीमती अमरजीत कौर w/o श्री सुरजीत सिंग के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती निर्मल तिवारी w/o सुभाष तिवारी ने शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। **जोन कमिश्नर**
जोन क्र.-10
नगर निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-4, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)
email ID: eocghbzone5@gmail.com

आम-सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा कालोनी सेजबहार, जिला रायपुर में निर्मित दीनदयाल आवास योजनांतर्गत एलआईजी भवन क्र.-692, श्री मुकेश कुमार कालरा पिता श्री बच्चामल कालरा, के नाम पर इस कार्यालय के नामांतरण आदेश क्र. 298 दिनांक 28.10.2020 के माध्यम से नामांतरित है। वर्तमान में द्वितीय आबंटी श्री मुकेश कुमार कालरा पिता श्री बच्चामल कालरा, निवासी म.नं.-10, समृद्धि विहार कालोनी, अमलीडीह रायपुर (छ.ग.) के द्वारा उक्त भवन को क्रेता (1) श्री उमाकांत दुबे पिता श्री हरिशंकर दुबे (2) श्रीमती नेहा उपाध्याय पति श्री उमाकांत दुबे पता मकान नं. 39/942 धरमनगर, पचपेड़ी नाका रायपुर (छ.ग.) के नाम पर विक्रय हेतु आवेदन पत्र, विक्रय इकरारनामा एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर उक्त भवन क्रेता 1. उमाकांत दुबे पिता श्री हरिशंकर दुबे 2. श्रीमती नेहा उपाध्याय पति श्री उमाकांत दुबे के नाम पर विक्रय हेतु अनुमति प्रदान किया जाना है।

अतः किसी भी व्यक्ति, शासकीय/ अर्धशासकीय संस्था, निकाय, बैंक अथवा वित्तीय संस्था इत्यादि को उक्त भूखण्ड/ भवन के विक्रय करने हेतु अनुमति प्रदान करने में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर लिखित रूप से प्रमाणित दस्तावेज सहित इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा नियत समयावधि पश्चात आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
प्रक्षेत्र-04, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-10, अमलीडीह सामुदायिक भवन पानी टंकी के पास,
Email: rmczone10@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 134/2020-21
वार्ड का नाम- डा. राजेन्द्र प्रसाद-52

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि डा. राजेन्द्र प्रसाद-52 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ गोल्डन टावर बी-सी-1 ए चतुर्थ तल 402 जो कि निगम अभिलेख में श्री विजय बागरेचा s/o सुनील बागरेचा के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती पूजा झुनझुनवाला w/o श्री अभिषेक झुनझुनवाला ने शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। **जोन कमिश्नर**
जोन क्र.-10
नगर निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम, जोन क्र. 5 रायपुर
ईदगाह भाठा, पानी टंकी, रायपुर (छ.ग.)
ph.No. 0771-40455819 Email rmczone5@gmail.com

ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

नामांतरण प्र.क्र.153 दिनांक 02.11.20
वार्ड का नाम वार्ड-पं. दीनदयाल उपाध्याय-41

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड-41 स्थित भूमि 69/नया रिंगरोड नं. 1 जो कि निगम अभिलेख में वेदिका मिनरल्स प्रा.लि. नेतराम जी अग्रवाल s/o स्व. मनोहर लाल के नाम से दर्ज है जिसको श्री जयवर्धन सिंह s/o छत्रपाल ने रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन कमिश्नर
जोन क्रमांक-5
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

समक्ष श्रीमान पब्लिक नोटरी महोदय रायपुर छ.ग.

नाम सुधार

मैं शपथकर्ता कलीम मोहम्मद पिता श्री सत्तार मोहम्मद निवासी बम्लेश्वरी मंदिर के पीछे, डंगनिया रायपुर, तहसील व जिला रायपुर छत्तीसगढ़ जो कि निम्नानुसार शपथपूर्वक कथन प्रस्तुत करता हूं -

1. यह कि मेरी पुत्री शिवम विद्यापीठ सांकरा पाटन जिला-दुर्ग छ.ग. में वर्तमान शिक्षण सत्र में अध्ययनरत है। जिसमें शाला रिकार्ड में मेरी पुत्री का नाम अनिका अर्शी अंसारी दर्ज है। 2. यह कि मेरी पुत्री अनिका अर्शी अंसारी के शाला रिकार्ड में मेरा नाम मोहम्मद कलीम अंसारी एवं माता का नाम तरन्नुम अंसारी दर्ज हो गया है। 3. यह कि मेरा सही नाम कलीम मोहम्मद एवं मेरी पत्नि का सही नाम तरन्नुम बेगम है जो कि सत्य एवं सही है। और उक्त दोनों नामों के हम पति-पत्नि एक ही व्यक्ति हैं। 4. यह कि यह शपथ पत्र मुझे संबंधित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है ताकि उक्त शपथ पत्र के आधार पर मेरी पुत्री के शाला रिकार्ड में मेरा सही नाम कलीम मोहम्मद एवं माता का सही नाम तरन्नुम बेगम दर्ज किया जाए। जिसके समर्थन में यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं।

सत्यापन- मैं शपथकर्ता यह सत्यापित करता हूं उक्त शपथ पत्र में उल्लेखित सभी तथ्य मेरे स्वयं के ज्ञान से सही है जिसे स्थान रायपुर में अपना हस्ताक्षर कर सत्यापित किया।

शपथकर्ता

कार्यालय, जोन क्रमांक-3 नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

:: निविदा आमंत्रण सूचना ::

क्रमांक 68/न.पा.नि./जोन-03/2020-21 — रायपुर, दिनांक 03.11.2020

मैनुअल पद्धति निविदा आमंत्रित की जाती है :-

01. निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन तिथि - 18.11.2020 कार्यालयीन समय 5.00 बजे तक
02. निविदा प्राप्त करने की तिथि - 19.11.2020 कार्यालयीन समय 5.00 बजे तक
03. निविदा जमा करने की तिथि - 24.11.2020 कार्यालयीन समय 4.00 बजे तक
04. निविदा खोलने की तिथि - 24.11.2020 कार्यालयीन समय 5.00 बजे तक

कार्य का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	कार्य का नाम	आगणित राशि (लाख में)	अमानती राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	ठेकेदार की श्रेणी	प्रपत्र एवं एस.ओ.आर. का विवरण	समयावधि
01	केनाल रोड एवं जल विहार कॉलोनी जी.ई. रोड चौक रायपुर में शेड निर्माण कार्य।	18.26	19000/-	750/-	''डी'' एवं इससे ऊपर	प्रपत्र 'अ' (पी.डब्ल्यू.डी. भवन दिनांक 01.01.2015 संशोधित एस.ओ.आर.)	06 माह
02	कलेक्टोरेट रायपुर चौक में शेड निर्माण कार्य।	18.26	19000/-	750/-	''डी'' एवं इससे ऊपर	प्रपत्र 'अ' (पी.डब्ल्यू.डी. भवन दिनांक 01.01.2015 संशोधित एस.ओ.आर.)	06 माह

1. नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग छ.ग. शासन, रायपुर में एकीकृत पंजीयन प्रणाली से सक्षम श्रेणी में पंजीकृत तथा कार्य के अनुभवी ठेकेदारों से तीन लिफाफा पद्धति जमा करना है। 2. लिफाफा (अ) में अमानती राशि का एफ.डी.आर. व शपथ पत्र एवं चाही गई समस्त दस्तावेज। 3. लिफाफा (ब) में निविदा प्रपत्र भरकर सीलबंद करना होगा। 4. (अ)+(ब) एवं अन्य तीसरे लिफाफा (स) में भरकर ही स्पीड के द्वारा प्राप्त किया जावेगा। 5. सर्वप्रथम लिफापा (स) खोलने के पश्चात लिफाफा (अ) खोला जावेगा जिसमें अमानती राशि का एफ.डी.आर. एवं अन्य चाही गई दस्तावेज होने पर ही निविदा प्रपत्र की लिफाफा (ब) खोली जावेगी तथा लिफाफे में 'अ' (अमानती राशि, शपथ-पत्र, दस्तावेज), 'ब' (निविदा प्रपत्र), 'स' अंकित होना अनिवार्य है। 6. निविदा जमा करने की तिथि एवं खोलने के तिथि में किसी वजह से अवकाश घोषित होता है तो वह कार्यालयीन दिवस में किया जावेगा। 7. समक्ष ई-रजिस्ट्रेशन, बैंक साल्वेंसी, लास्ट तीन साल आईटीआर, पेन कार्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं लास्ट तीन माह क्लीयरेंस डिटेल, अमानती राशि का एफ.डी.आर. के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। 8. 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापन सहित प्रस्तुत करना होगा। 9. किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार नगर निगम रायपुर के पास सुरक्षित है। 10. निविदा संबंधी अन्य शर्तें एवं जानकारियों कार्यालय अवधि/दिवस में प्राप्त की जा सकती है। 11. उक्त निविदा नगर पालिक निगम, रायपुर के वेबसाईट nagarnigamraipur.nic.in में देखी जा सकती है।

पेयजल, सड़कबत्ती, सफाई समस्या निराकरण संपर्क निदान- 1100

कार्यपालन अभियंता
जोन क्रमांक-03
नगर पालिक निगम, रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग
सामान्य वनमंडल खैरागढ़
नीलाम विज्ञापन

सर्व सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि सामान्य वनमंडल खैरागढ़ अधीनस्थ काष्ठागार में उपलब्ध वनोपज का नीलाम किया जाना है अतः इच्छुक व्यापारियों से अनुरोध है कि वे नीलाम में भाग लेवें, नीलाम की शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन दिवस एवं समय में काष्ठागार अछोली से प्राप्त की जा सकती है।

1. **नीलाम स्थान** :- **काष्ठागार अछोली (डोंगरगढ़)**
2. **नीलाम दिनांक** :- **18/11/2020**

प्रजाति	नए वनोपज			पुराने वनोपज		
	घ.मी.	बल्ली	डेंगरी	घ.मी.	बल्ली	डेंगरी
सागौन	4.000	13	6	31.801	1343	14415
बीजा, तिन्सा, शीशम	0	0	0	12.468	0	0
साजा, हल्दू, मुण्डी, खम्हार	0	0	0	15.135	0	0
सलिहा, मोदे	0	0	0	0	0	0
अन्य	0	0	0	27.498	0	0
योग	**4.000**	**13**	**6**	**86.902**	**1343**	**14415**

टीप :- (1) इसके अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक द्वारा अस्वीकृत एवं निरस्त लाट भी नीलाम में प्रस्तावित की जावेगी।
(2) वर्ष 2020 के लिए व्यापारी पंजीयन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
(3) पेन कार्ड एवं जी.एस.टी. का पंजीयन, टिन नं. की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
(4) क्रेता को नीलामी पूर्व पार्टनर शीप डीड एवं पावर आफ ऐटर्नी की कापी प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा आपकी बोली स्वीकार नहीं की जावेगी।
(5) जी.एस.टी. की राशि पृथक से बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से वनमण्डलाधिकारी, खैरागढ़ के नाम से भुगतान शाखा खैरागढ़ द्वारा की जावेगी।
(6) किसी भी व्यक्ति को नीलाम में बोली लगाने के पूर्व नीलाम की शर्तों का पालन करने के करार के प्रतीक स्वरूप विक्रय सूचना पर हस्ताक्षर करना होगा तथा प्रत्येक लाट के संबंध में बोली लगाने के पूर्व जिस सीमा तक वह बोली लगाना चाहता है, उसके 10% के बराबर या 1000/- रूपए इनमें से जो अधिक हो, बयाने की राशि जमा करें।

वनमण्डल अधिकारी,
खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़

जी-84734/4

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी
National Testing Agency
(An Autonomous Organization under the Department of Higher Education, Ministry of Education GoI)

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान
INDIAN INSTITUTE OF FOREIGN TRADE
(Deemed to be University)

आईआईएफटी एमबीए (आईबी)-2021-2023 की प्रवेश परीक्षा
सार्वजनिक सूचना दिनांक 6 नवम्बर 2020

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की स्थापना एक स्वतंत्र / स्वायत्त, आत्मनिर्भर प्रमुख परीक्षण संगठन के रूप में की गई है। भारत के विदेशी व्यापार क्षेत्र में कौशल निर्माण हेतु योगदान देने के लिए, 1963 में, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT) की स्थापना, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी।

आईआईएफटी परिसरों नई दिल्ली, कोलकाता और काकीनाडा (एपी) में एमबीए (अंतराष्ट्रीय व्यापार) कार्यक्रम 2021-23 में प्रवेश के लिए एनटीए कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करेगा।

परीक्षा की तिथि	24 जनवरी 2021 (रविवार)
परीक्षा की पद्धति	कंप्यूटर आधारित परीक्षा
पात्रता	स्नातक में 50% अंकों के साथ, किसी भी विषय में, मान्यता प्राप्त, न्यूनतम 3 साल की स्नातक- डिग्री, (एससी/ एसटी / पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार के लिए 45%)। स्नातक के अंतिम वर्ष की परीक्षा में, उपस्थित हुए अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। कोई आयु सीमा नहीं।
आरक्षण	एससी/ एसटी /ओबीसी (एनसीएल)/ पीडब्ल्यूडी /सामान्य-ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण भारत सरकार के नियमों के अनुसार। प्रवासी भारतीयों (NRIs) एवं विदेशी नागरिक के लिए सीटें आरक्षित हैं।
ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की तिथि	06 नवंबर 2020 से 20 दिसंबर 2020 तक प्रवासी भारतीय एवं विदेशी नागरिक: 15 जनवरी 2021 से 15 मार्च 2021 तक

योजना/ अवधि/समय/माध्यम/पाठ्यक्रम/परीक्षा शुल्क, प्रवेश, सीटों का आरक्षण, परीक्षा शहर, महत्वपूर्ण तिथियां एवं प्रवेश- प्रक्रिया आदि परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएँ, सूचना बुलेटिन में www.nta.ac.in पर दर्शाई गई हैं। उम्मीदवार, जो परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे IIFT-MBA (IB) कार्यक्रम 2021-23 के लिए विस्तृत सूचना बुलेटिन और संस्थान की वेबसाइट www.iift.edu पर प्रदर्शित किए गए प्रोस्पेक्टस को पढ़ सकते हैं और केवल https://iift.nta.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऊपर निर्दिष्ट अवधि के दौरान, परीक्षा शुल्क का भुगतान, डेबिट / क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग या पेटीएम के माध्यम से ऑनलाइन किया जाना आवश्यक है।

वरिष्ठ निदेशक (परीक्षा)

बफर जोन में पेड़ों की अवैध कटाई, अधिकारी बेखबर, जंगल बचाने की हो रही मांग

देवभोग। बफर जोन अंतर्गत बेशकीमती पेड़ों की सुरक्षा के सांप पौधारोपण के लिए सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है। लेकिन जिम्मेदार अफसरों की उदासीनता की रवैया के चलते लगातार ऐसे जोन मैं पेड़ों की धड़ाधड़ कटाई हो रही है। ऐसा ही हाल इंदागांव बफर जोन अंतर्गत कांडसर पीपलखूंटा बुडगेलटप्पा सहित अन्य जंगलों का है। जहां छोटे बड़े बेशकीमती बल्ली और सागौन जैसे अन्य पेड़ों की धड़ाधड़ अवैध कटाई हो रही है। तो वहीं बफर जोन के जिम्मेदार अपने कार्यालय में बैठे-बैठे जंगल साफहोने के इंतजार में नजर आ रहे हैं। तभी शायद जंगल के बीच पहुंचकर पेड़ों की कटाई को रोकने की जहमत तक नहीं उठाते यही वजह है। कि क्षेत्र के जंगलों में बल्ली और पेड़ों की संख्या दिन-ब-दिन कम होती जा रही है। उल्लेखनीय हो कि इंदा गांव बफर जोन परिक्षेत्र अंतर्गत सागौन साल सहित अन्य कीमती पेड़ है। जिनमें से अब धीरे-धीरे पेड़ों की संख्या मैं

तेजी से कमी आ रही है । जिसका प्रमुख कारण वन अधिकारियों की उदासीनता को माना जाता है । वर्तमान स्थिति में सागौन जैसे अन्य पेड़ से बनाई गई पल्ला की काफी मांग है। सीमा से लगे उड़ीसा पर एक नग पल्ला की कीमत तीन से 4 हजार बताया जाता है। यही वजह है कि छोटे छोटे पेड़ की बलि भी बेदर्दी से दिया जा रहा है। अब तो पीपल खूंटा बुडगेल टप्पा जंगल पर गिनती की कीमती पेड़ नजर आ रहे हैं। फिर भी वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है । जबकि अवैध कटाई को रोकने के लिए सर्कल अधिकारी से लेकर बीट गार्ड पदस्थ मगर यह जिम्मेदार फील्ड मैं कम और इधर-उधर अधिक देखे जाते हैं। मतलब एक दूसरे के भरोसे रहकर जंगल में पेड़ों की सुरक्षा करने का दावा करते हैं। मगर जंगल में बल्ली और पेड़ों की कटाई को देख विभाग की दावा पूरी तरह खोखली साबित हो रही है। सबसे खास बात तो यह है ।कि पेड़ों की कटाई के बाद तस्कर बड़ी चालाकी से ढूंढ को पूरी तरह गायब कर देते हैं या फिर आग लगा देते हैं ।ताकि पेड़ कटाई की भनक विभाग अफसरों को नहीं लग पाए इससे विभाग भी अवैध कटाई को आसानी से छुपा लेते हैं। यही वजह है कि वन विभाग के रिकॉर्ड में अवैध कटाई में कोई खास बढ़ोतरी नहीं बताया है जबकि जंगल की जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। हालांकि अधिकारी भी दबी जुबान मानते हैं कि पहले घने जंगल की तुलना इस समय बहुत कम देखने को मिल रहा है ।जिसका प्रमुख कारण ताबड़तोड़ पेड़ों की कटाई को माना जाता है हालांकि पौधा की सुरक्षा नहीं होना भी है।

> मुझे शिकायत मिली तो मैंने भी जंगल मैं जाकर देखा है जहां पेड़ों की कटाई हो रही है और इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से मिलकर जल्द ही किया जाएगा
>
> **डमरूधर पुजारी,** विधायक बिंद्रा नवागढ़

> पेड़ों की कटाई अगर किया जा रहा है तो उनके खिलाफबिल्कुल ही कार्यवाही किया जाएगा कल ही टीम को मौके पर मुआयना करने के लिए भेजेंगे।
>
> **योगेश कुमार रात्रे,** रेंजर बफर जोन इंदागांव

ताश पत्ती का जुआ खेलते 2 अलग-अलग स्थान से 12 पकड़ाए, 3960 रूपये जब्त

भाटापारा। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सिमगा पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर ताश पत्ती का जुवा खेलते कुल 12 जुवाडियो को पकड़ कर उनके कब्जे से 3960 रूपये जब्त कर उनके खिलाफजुवा एक्ट के तहत कार्यवाही की है। उपरोक्त सम्बन्ध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी सिमगा नरेश चौहान ने बताया की मुखबीर की सुचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार चौहान के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक ईश्वर टोप्पो आरक्षक धर्मेंद्र यादव केशव संतोष साहू की टीम ने संयुक्त रूप से बिनैका बाजार चौक के पास कुछ जुवाडियान बिजली खंबा के नीचे बिजली प्रकाश में ताश पत्ती से रुपये पैसे की हार जीत की दांव लगाकर काट पत्ती नामक जुआ खेलते पकड़ा गया है।इस दौरान 1.रवि ध्रुव पिता मंतरु ध्रुव उम्र 30 वर्ष 2. नारायण धुरू पिता शत्रुघ्न ध्रुव उम्र 29 वर्ष 3.विमल ध्रुव पिता बबलू ध्रुव उम्र 28 वर्ष 4.उमेंद्र ध्रुव पिता शोभाराम ध्रुव उम्र 19 वर्ष 5.दुर्गेश ध्रुव पिता गोवर्धन ध्रुव उम्र 19 वर्ष 6.छवि ध्रुव पिता तिहारी ध्रुव उम्र 35 वर्ष 7. हरि चरण पिता सहदेव ध्रुव उम्र 20 वर्ष सभी साकिनान बिनैका को पकड़ कर उनके कब्जे से जुमला ?930 रूपये जब्त किया गया। उसीतरह ग्राम औरेठी बाजार चौक में सार्वजनिक स्थान पर जुवा खेलते 1. किशन साहू पिता राम प्रसाद साहू उम्र 40 वर्ष 2.दुकालू सतनामी पिता धर्मदास सतनामी उम्र 48 वर्ष 3.शिव कुमार पिता मनीराम साहू उम्र 21 वर्ष 4.अजय जांगड़े पिता शांता जांगड़े उम्र 21 वर्ष 5.गोवर्धन सतनामी पिता साधराम सतनामी सभी सकिनान औरेठी थाना सिमगा के रूपये पैसे की हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते मिले जिनके पास से जुमला 3030रू फड़ से 52 पत्ती तास को जब्त किया गया।दोनों ही मामलो में सिमगा पुलिस ने 13 जुवां एक्ट के तहत कार्यवाही की है।दोनों कार्यवाही में थाना प्रभारी *निरीक्षक नरेश कुमार चौहान सहायक उपनिरीक्षक ईश्वर टोप्पो प्रधान आरक्षक शत्रुघ्न सिंह ध्रुव आरक्षक धर्मेंद्र यादव केशव भट्ट जितेंद्र निषाद संतोष साहू का महत्वपूर्ण योगदान रहा*

पैरा जलाने वालों की खैर नहीं, जुर्माना के साथ जाना पड़ सकता है जेल

महासमुंद। छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा वायु (प्रदुषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 19 की उपधारा (5) के अंतर्गत फसल कटाई के पश्चात् खेतों में बचे हुये फसल अवशिष्ट को जलाने से वायु प्रदूषण होने, अथवा संभावना के मद्देनजर फसल कटाई के पश्चात खेतों मे बचे हुये फसल अवशिष्ट को जलाने पर प्रतिबंधित किया गया है। कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि जिसके तहत 02 एकड़ से कम के लिए 2500 रूपए प्रति घटना, 02 से 05 एकड़ तक पॉच हजार रूपए प्रति घटना एवं 05 एकड़ से अधिक होने पर 15 हजार प्रति घटना एवं 06 माह की सजा एवं अर्थदण्ड करने का प्रावधान हैं। उन्होंने बताया कि इसमें जिला दंडाधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक, प्रदुषण एवं नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी को अधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि इस आदेश के परिपालन में फसल अवशेष को जलाने से रोकने तथा उनके उचित प्रबंधन पशुचारे के रूप में उपयोग करने, कम्पोस्ट बनाने आदि के संबंध में कृषि विभाग द्वारा मैदानी अमलों के माध्यम से कृषकों को समझाईश देने एवं फसल अवशेष प्रबंधन के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है। इसके बावजूद भी कृषकों द्वारा फसल अवशेष को जलाया जाता है। जिन कृषकों के पास उपयोग से अधिक फसल अवशेष जैसे पैरा, भूसा आदि है, उन्हें खेत में जलाने की अपेक्षा निकटतम गौठानों में पशुचारा के लिए उपलब्ध कराने एवं डी-कम्पोजर के घोल का छिड़काव कर कुछ ही दिनों में सुपर कम्पोस्ट खाद बनाकर उपयोग में लाने समझाईश दी जाती है। इससे वायु प्रदुषण में रोकथाम के साथ-साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति गुणवत्ता में सुधार होगा जो कि पर्यावरण सहित सबके लिए हितकर अथवा लाभकारी होगा।

कलेक्टर ने मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए

कवर्धा(नवप्रदेश) । कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने आज यहां जिला कार्यालय के सभा कक्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के समीक्षा की। कलेक्टर श्री शर्मा ने कोविड-19 कारोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम और नियंत्रण के लिए जारी निर्देशों के अनुरूप मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का क्रियान्वय करने और 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को कुपोषण एवं एनीमिया से मुक्त करने, 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करने, 06 वर्ष के कम आयु के बच्चों को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त करने के लिए जनसहभागिता एवं जन जागरूकता को बढ़ावा के लिए जिला स्तर पर ठोस कार्य योजना बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एस. के. मंडल, महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी श्री आनंद तिवारी, डिप्टी कलेक्टर रेखा चन्द्रा, डीपीएम श्रीमती नीलू घृतलहरे एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के सीडीपीओ विशेष रूप से उपस्थित थे।

कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले में कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के उपायों को विशेष ध्यान मे रखते हुए मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन किया जा सकता है।

पालिका अध्यक्ष द्वारा पटाखा दुकान हेतु हाईस्कूल मैदान का निरीक्षण

महासमुंद। नगर पालिका द्वारा हाईस्कूल मैदान में नियम, शर्तो के तहत 48 अस्थायी पटाखा दुकानों की नीलामी की जाएगी. स्थल आबंटन नीलामी की कार्रवाई कल दोपहर 3 बजे नगर पालिका सभा कक्ष में आयोजित किया जाएगा. नीलामी के एक घंटे पहले 1200 रुपए अमानत राशि जमा करने पर ही नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी. आज नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर एवं सभापति राजेन्द्र चंद्राकर ने हाईस्कूल मैदान का जायजा लिया।

प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली के पूर्व नगर पालिका द्वारा आदर्श बालक हाईस्कूल मैदान में अस्थायी पटाखा दुकान के लिए स्थल आबंटन प्रक्रिया अपनाई जाएगी. इच्छुक व्यवसायी को पिछले वर्ष की शेष बकाया राशि का भुगतान करना होगा. नीलामी की कार्रवाई के एक घंटे पहले अमानत राशि जमा संबंधित रसीद एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं. व्यवसायी को अस्थायी पटाखा लाइसेंस की जीवित पंजीयन की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अन्यथा की स्तिथि में संबंधित किसी भी व्यवसायी को भाग लेने नहीं दिया जाएगा. वहीं दुकान खुलने की स्थिति में दीपावली तक नीलामी की राशि जमा करना अनिवार्य होगा।

कोरोना के बाद अब मौसम की मार

नारियल की फसल हुई नष्ट, सैकड़ा पीछे 100 रुपए तेज

■ **निकली मांग छठ पूजा और दीपावली की**

भाटापारा। तैयार थी फसल। काटने की थी तैयारी। तेज हवाओं और जोरदार बारिश ने सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया। अचानक आई इस आफत ने नारियल उत्पादक किसानों पर तो असर डाला ही साथ ही देश के हर कोने तक इसका असर फैला। पहला असर नारियल का सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य बिहार पर पड़ा है जहां छठ पूजा की मांग नारियल के लिए निकली हुई है। दूसरे राज्यों में दीपावली की मांग उत्पादक क्षेत्र तक पहुंच गई है। असर यह कि नारियल की कीमतें थोक में 100 रुपए तो चिल्हार में 5 रुपए की तेजी आ चुकी है।

हरेली से नारियल की मांग उठने लगती है जो दीपावली तक चलती है लेकिन इस बार कोरोना वायरस के संक्रमितों के बढ़ते मामले के बाद हर पर्व, हर त्यौहार पर तरह-तरह की जो बंदिशे लागू हुई उसके बाद नवरात्रि जैसे सबसे बड़े पर्व पर बिक्री के लिहाज से शिखर पर रहने वाला नारियल एक झटके में जमीन पर आ गिरा। अब छठ पूजा और दीपावली के लिए मिली छूट के बाद आंध्र प्रदेश और केरल के नारियल के खेतों में 5 महीने से छाई वीरानी दूर होने लगी है पर शायद प्रकृति अब भी नाराज है क्योंकि नारियल की तैयार फसल पर तूफान और तेज बारिश ने जबर्दस्त नुकसान पहुंचाया है। अब यह भारी मांग के दबाव से गुजर रहा है और कीमतें रोज बढ़ रहीं हैं।

दबाव के बाद मांग और तेजी

नारियल उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश और केरल का पूरा ध्यान इस समय छठ पूजा पर ही है इसलिए क्वालिटी वाला नारियल इसके लिए अलग किया जा रहा है, भेजा जा रहा है। 3 स्तर पर हो रही ग्रेडिंग के बाद भाव भी तीन अलग-अलग हो चुके हैं। इसमें बोल्ड नारियल 2200 रुपए सैकड़ा पर पहुंच गया है। पहले यह 1600 से 1700 रुपए सैकड़ा पर था। सेकंड क्वालिटी का नारियल 1200 रुपए की जगह 1300 रुपए सैकड़ा पर पहुंच चुका है। इसी में मीडियम क्वालिटी का नारियल 1700 रुपए पर पहुंच गया हैं इसके पहले तक यह 1600 रुपए पर था। कच्चा नारियल छोटा अब 1200 रुपए सैकड़ा में मिलेगा। इसके पहले यह 1100 रुपए पर था। बोल्ड कच्चा नारियल खरीदने पर 2200 रुपए देने होंगे। तेजी के पहले यह 1700 रुपए सैकड़ा पर मिल रहा था। तेजी की आशंका आगे भी बने रहने की है क्योंकि दीपावली की भी मांग निकल चुकी है।

कहर बारिश और तूफान का

आंध्र प्रदेश और केरल को देश में प्रमुख नारियल उत्पादक राज्य के रूप में जाना जाता है। इन दोनों के अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी नारियल की खेती की जाती है। इन राज्यों में नवरात्रि के समय तैयार होने वाली फसल काटी नहीं गई थी तो छठ पूजा और दीपावली के लिए तैयारी की जा रही थी। प्रतिबंध से मिली छूट के बाद मांग एकाएक बढ़ी और दबाव भी बढ़ा लेकिन सारी योजना पर तूफान, तेज हवा और बारिश ने पानी फेर दिया। इस तरह फसल को 50 फीसदी नुकसान पहुंचने की खबर है।

इन राज्यों से मांग का दबाव

छठ पूजा के अवसर पर बिहार से सबसे ज्यादा नारियल की मांग निकलती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से भी केरल और आंध्र प्रदेश पर मांग का दबाव है। प्राकृतिक विपदा से उबरने की कोशिश के बीच अब उत्पादक क्षेत्र की पहली प्राथमिकता छठ पूजा ही है क्योंकि दीपावली के पहले अच्छी क्वालिटी की मांग यही राज्य करता है।

मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया ने हाथियों के विचरण से प्रभावित ग्रामों का किया दौरा

■ **प्रभावित परिवारों को स्वेच्छानुदान से भी मिलेंगे 15-15 हजार रूपए**

डौंडी। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया आज डौण्डी विकासखण्ड में हाथियों के विचरण से प्रभावित ग्राम जबकसा, ग्राम खुर्सीटिकुर और ग्राम लिमऊडीह का दौरा किया। उन्होंने वहाँ ग्रामीणों से चर्चा कर हाथियों के विचरण से हुई फसल आदि की क्षति की जानकारी ली। कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे, पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह मीणा और वनमण्डल अधिकारी श्रीमती सतोविशा समाजदार,मन्त्री प्रतिनिधि पीयुष सोनी इस अवसर पर मौजूद थे। मंत्री श्रीमती भेंडिया ने ग्रामीणों से कहा कि हाथियों के विचरण से हुई क्षति का मुआवजा राशि शासन के नियमानुसार प्रदान की जाएगी, इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रभावित परिवार को स्वेच्छानुदान से पन्द्रह-पन्द्रह हजार रूपए भी दी जाएगी।

मंत्री श्रीमती भेंडिया ने प्रभावित परिवारों की संख्या और रकबा की जानकारी ली। उन्होंने क्षति का आंकलन करने सर्वे में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों की मॉग के अनुरूप मनरेगा के तहत् उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मंत्री श्रीमती भेंडिया ने वहाॅ ग्रामीणों की समस्याएँ भी सुनी। ग्राम जबकसा के 18 वर्षीय दिव्यांग मनोज कुमार के पिता देवराम ने मंत्री को बताया कि उसका पुत्र दिव्यांग है और उसे दैनिक कार्यो में परेशानियों का सामना करना पड़ता है अतः उसे व्हीलचेयर दिलाया जाए। मंत्री श्रीमती भेंडिया ने दिव्यांग मनोज की समस्या को गंभीरतापूर्वक सुना और त्वरित कार्यवाही करते हुए उसे व्हीलचेयर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। किसानों ने मंत्री को बताया कि राजीव गॉधी किसान न्याय योजना के तहत् तीसरे किश्त की राशि उनके बैंक खाते में जमा हो गया है। मंत्री ने ग्रामीणों से कहा कि वे हाथियों से दूर रहें तथा किसी भी प्रकार से उन्हें न उकसाएँ।

प्रथम पृष्ठ का शेष...

मंत्री और टॉप के...

महकमें के टॉप ऑफिसर समेत विभागीय मंत्री तक जांच की आंच पहुंचेगी। बता दें कि सीएम के निर्देश पर मुख्य सचिव आरपी मंडल पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। ऐसे में इस गड़बड़ी से सरकार के लिए मुसीबत खड़ी करने वाले जिम्मेदार फिर कोई भी हो, उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है।

बड़े बचेली 5 का...

को भी नही है। क्योंकि जिस मकान में यह चावल रखा गया है। उस खाद्यान्न का कोई पंचनामा भी नही बनाया गया है। अंदुरुनी इलाको में सरकार गरीबो के लिए निशक्तजनों के लिए चावल निःशुल्क से लेकर कई योजनाओं के तहत सस्ते दर में उपलब्ध करवा रही है। मगर उन्ही गरीबो के हक और अधिकार के राशन में सेंधमारी कर काला बाज़ारी की खबरे निकलती रहती है। फिलहाल बरामद राशन की खबर बचेली एसडीएम प्रकाश भारद्वाज को लगते ही मौके पर तहसीलदार सहित एक टीम भेजी गई है जो बारीकी से जांच में जुट गई है।

आरोपियों की हुई...

होदा शाह,बिल्हा प्रभारी सागर पाठक,व सिरगिट्टी प्रभारी शांत साहू ने उस एरिया में घेराबंदी करते हुए डेराडाल दिया ताकि आरोपी फरार न हो जाए,साथ ही आस पास के गांव वालों को भी घटना और आरोपी के सम्बंध में सूचित किया गया,जिसका फायदा भी मिला और सुबह ग्रामीणों ने आरोपी को देख कर पुलिस को सूचना दी और फरार आरोपी पकड़ा गया।

दो जिलों की पुलिस...

क्रमांक 2 ठडगाबहार में रहने वाले राजेन्द्र कुर्रे घर के ही सामने किराने की दुकान चलाते हैं, उनके 3 पुत्रियां व 1 पुत्र हैं,इकलौता पुत्र होने के कारण पुत्र अनुज सारे घर का लाडला था,यह बात किडनैपर्स को पता थी।सुबह के करिब 9 के लगभग जब अनुज के पिता घर पर नही थे और अनुज अपने घर के सामने दोस्त अभिषेक के साथ खेल रहा था तभी नीले रंग की बाइक में एक युवक पहुँचा और बच्चे को कहा कि तुम्हारे पापा कोल्डड्रिंक पीने को बुला रहे हैं जिस से अनुज उसके झांसे में आ गया और बाईक सवार के साथ चला गया।काफी देर तक अनुज को नही देख कर घर वालो को उसके लापता होने की जानकारी हुई तब उन्होंने पूछताछ और खोजबीन शुरू की तब अनुज के दोस्त अभिषेक ने अनुज को अज्ञात बाइक सवार के साथ जाने की बात बताई जिस से हड़कंप मच गया और पुलिस को अपहरण की सूचना दी गयी,अपहर्ताओं के द्वारा इसी बीच अनुज के पिता को फोन कर 5 लाख की फिरौती भी मांगी गई।

न्यायालय नायब तहसीलदार भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्रं./अ-06/वर्ष 2020-21

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री गणेश सौदागर पिता देवराज सौदागर निवासी वार्ड 22 तितुरडीह दुर्ग तह. व जिला दुर्ग मौजा उरला प.ह.न 07 रा.नि.मं. सिकोला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 569/24, 569/30 रकबा 0.006, 0.006 हें भूमि सरिता सौदागर के नाम पर दर्ज है। भूमि स्वामी की मृत्यु दिनांक 18.03.2016 को हो जाने के कारण वारीसानों का नाम दर्ज करने आवेदन पेश किया गया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/ आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 07.11.2020 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् होने पर आपत्ति/ दावा पर विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 16.10.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्रं./अ-06/वर्ष 2020-21

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका सुष्मिता नायक पिता/ पति स्व. अशोक कुमार नायक निवासी बालाजी नगर से-11 जोन 2 खुर्सीपार भिलाई तह. व जिला दुर्ग मौजा उरला प.ह.न 07 रा.नि.मं. सिकोला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 655/8 रकबा 0.007 हें भूमि अशोक कुमार नायक के नाम पर दर्ज है। भूमि स्वामी की मृत्यु दिनांक 01.08.2020 को हो जाने के कारण वारीसानों का नाम दर्ज करने आवेदन पेश किया गया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/ आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 07.11.2020 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् होने पर आपत्ति/ दावा पर विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 16.10.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती विजयम्मा पी.एल. आ. एम.एल.आर. नायर साकिन बोरसी द्वारा ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 रा.नि.मं. तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 246/8 रकबा 1530 वर्गफीट हे. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता व्ही.पी. वर्गीस आ. याहेन्नान से क्रय किया गया है कि नामांतरण किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 06.11.2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 15.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्री भोलेश्वर देशमुख आ. स्व. प्रेमचंद साकिन द्वारा ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 463/3, 465/2, 463/60 रकबा कुल 0.077 हे. जो उसके स्व. गैंदलाल व खेमलाल आ. थनवार के नाम पर दर्ज है की फौती दर्ज किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि का नाम विलोपित किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 06.11.2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 15.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्री बन्नडा ईश्वर राव आ. स्व. बी. अमन्ना साकिन द्वारा ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 1022/14 रकबा 0.020 हे. जो उसके पिता स्व. बी.अमन्ना पिता बी. मुलैय्या के नाम पर दर्ज है की फौती दर्ज किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि का नाम विलोपित किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 23.11.2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 03.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती बबीता बांधे पिता/ पति श्री राजेन्द्र बांधे निवासी सिकोला बस्ती दुर्ग मौजा सिकोला प.ह.न. 07 रा.नि.मं. तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 2/2 रकबा 0.996 हे. के नाम पर दर्ज है भूमिस्वामी की मृत्यु दिनांक 10.10.2020 को हो जाने के कारण वारीसानों का नाम दर्ज करने आवेदन पेश किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/ आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 12.11.2020 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् होने पर आपत्ति/ दावा पर विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 29.10.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग-1 (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदक श्री विजय कुमार आ. नम्मूराम साहू साकिन मरोदा भिलाई के द्वारा ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 रा.नि.मं. अण्डा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 312/4 रकबा 0.014 हे. भूमि त्रिवेणी बाई पिता/ पति छोटेलाल से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 17.08.2013 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर दावा हो तो व नियत पेशी दिनांक 19.11.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम ये इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 02.11.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग-1 (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदक श्री रियाज अहमद आ. मकबूल अली साकिन दुर्ग के द्वारा ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 रा.नि.मं. अण्डा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 56/4 रकबा 1350 वर्गफीट हे. भूमि नीरज चंसोलिया से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 05.10.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर दावा हो तो व नियत पेशी दिनांक 09.11.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम ये इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 28.10.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक यशवंत धोटे* द्वारा बंसल स्कूल कैम्पस, अशोक विहार कॉलोनी, पण्डरी से मुद्रित कर ब्रिस्टल चौक छोटापारा रायपुर से प्रकाशित,
फोन व फैक्स : 0771-4035602, RNI NO.CHHHIN/2012/41806/ डाक पंजीयन क्रमांक सी.जी./आर.वाई.पी. डीएन/40/2019-2021

■ न्यूज गैलरी

वृद्धाश्रम में साड़ी व कपड़ों का वितरण

डोंगरगढ़। विगत दिन जीवन आनंद वृद्धाश्रम बछेराभाठा में नर्स श्रीमती आषा गणवीर व रिंकु बडोले जी के द्वारा साड़ी व कपड़े बांटे गए। यहाँ निवासरत वृद्धजनों को आषा गणवीर जी के द्वारा साड़ी व पेंट षर्ट भेंट किया गया साथ ही सभी वृद्धजनों को नाष्ता व फलाहार भी दिया गया। श्रीमती आषा जी प्रति वर्ष दीवाली पर्व में आश्रम के वृद्धजनों के लिए भेंट लाती है व इनके साथ समय बांटती है। उक्त अवसर पर आश्रम के संचालक श्री एस. जी. मेश्राम ने आभार व्यक्त किए व बुजुर्गों के प्रति उनके सम्मान का भी अभिवादन किए।

एकता परिषद प्रयोग समाज सेवी संस्था द्वारा कोरोना राहत में बीज कीट वितरण कर 60 किसनों का गया सहयोग

गरियाबंद। जन संगठन एकता परिषद एवं प्रयोग समाज सेवी संस्था तिल्दा के सहयोग से छोटे किसानों को कोविड 19 रिलिफ परियोजना के तहत गरियाबंद जिले के ग्राम कासरबाय हरदी गांव के गरीब किसान, विधवा महिला,एकल महिला,प्रवासी एवं सीमांत किसान को ग्रीष्मकालीन खेती हेतु, विभिन्न प्रजातियों के बीजों का कीट वितरण किया गया । जिसमें सहयोगी संस्था बी.एम.जेड.डब्ल्यू.एच. एच.के द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों मुखियाओं एवं एकता परिषद के जिला समन्वयक नूरानी जैन की उपस्थित मे चना,सरसों,मटर का बीज कीट 60 गरीब किसान परिवारों को जिला पंचायत सदस्य फिरतू राम कंवर सरपंच श्रीमती इद्राणी ध्रूव,पूर्व सरपंच दयालाल ध्रुव के द्वारा वितरण किया गया ।

शासन के कार्य योजना के तहत पशु चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन

गुण्डरदेही। ग्राम पंचायत साजा में पशु चिकित्सालय गुण्डरदेही के तत्वधान में डॉ मौसमी यादव के मार्गदर्शन में निशुल्क पशु चिकित्सा शिविर आयोजित की गई।इस अवसर शिव कुमार निषाद, थानसिंह मंडावी, रोहित गेंड्रे, सेवाएं प्रदान किया इस शिविर में ग्राम के सरपंच रोहित निर्मलकर, वेणु राम साहू उपसरपंच,जनक सिन्हा,नीलम दीमर, दिलीप सिन्हा,दालू यादव, रामभरोसा निर्मल, शिवप्रसाद दीमर, भगत निर्मल, पंचायत चपरासी पूनम मानिकपुरी एवम् समस्त ग्रामवासियों का सहयोग सराहनीय रहा। इस शिविर में20 पशुओं की बधियाकरण,51 पशुओं की उपचार, 24 पशुओं को दवाई वितरण, 25 पशुओं को कृमि नाशक एवम् 46 पशुओं को टेकिंग किया गया

बेमेतरा विधायक के प्रयासों से मिला बेमेतरा विधानभा क्षेत्र को 5.5 करोड़ की जल जीवन मिशन योजना का लाभ

साजा। बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक आशीष छाबड़ा के प्रयासों से लोकस्वस्थ्य यांत्रिकी मंत्रालय द्वारा बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र हेतु जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत 15 ग्रामो में 05 करोड़ 57 लाख 80 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान दी है, उक्त स्वीकृति से ग्रामों के सोलर आधारित नलजल प्रदाय योजना का लाभ मिलेगा। जिससे गावों में विद्युत ना होने पर भी जल प्रदाय की सुविधा रहेगीं। विभाग द्वारा ब्लाक बेरला अंतर्गत ग्राम साल्हेपुर सोलर आधारित नलजल प्रदाय योजना लागत राशि 26.09 लाख, ग्राम बूढ़ाजौग सोलर आधारित नलजल प्रदाय योजना लागत 25.19 लाख, ग्राम करेली-सोलर आधारित नलजल प्रदाय योजना लागत 23.14 लाख, ग्राम सूरजपुरा सोलर आधारित नलजल प्रदाय योजना लागत 24.84 लाख, ग्राम चण्डी सोलर आधारित नलजल प्रदाय योजना लागत 26.58 लाख, ग्राम घोटमर्रा सोलर आधारित नलजल प्रदाय योजना लागत 24.58 लाख, ग्राम चोटमर्रा सोलर आधारित नलजल प्रदाय योजना लागत 26.18 लाख, ग्राम हड़गाव सोलर आधारित नलजल प्रदाय योजना लागत 26.56 लाख, ग्राम आनंदगाँव सोलर आधारित नलजल प्रदाय योजना लागत 22.49 लाख, ग्राम चोगीखपरी सोलर आधारित नलजल प्रदाय योजना लागत 26.63 लाख, ग्राम बारगाँव सोलर आधारित नलजल प्रदाय योजना लागत 29.60 लाख, ग्राम डड़जरा सोलर आधारित नलजल प्रदाय योजना लागत 27.86 लाख, ग्राम आदु सोलर आधारित नलजल प्रदाय योजना लागत 30.94 लाख, ग्राम हसदा रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना लागत 112.12 लाख, ग्राम आंनदगाव रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना लागत 105.00 लाख रुपये की स्वीकृति मिली।

बेमेतरा पुलिस ने 6 जुआरियों से नगदी 14,540 रू किया जप्त

साजा। पुलिस अधीक्षक बेमेतरा दिव्यांग पटेल के निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक विमल कुमार बैस व एसडीओपी बेमेतरा राजीव शर्मा के मार्गदर्शन में थाना / चौकी प्रभारियों के द्वारा अवैध शराब, जुआ, सट्टा, गांजा पर लगातार कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत दिनांक 03.11.2020 को थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा पुलिस को मुखबीर से सुचना मिली कि ग्राम बहेरा बडे तालाब के पास स्ट्रीट लाईट के नीचे में कुछ लोग आम जगह पर रूपया-पैसो का हार-जीत का दाव लगाकर तास पत्ती से जुआ खेल रहे है की सूचना पर थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा स्टाफद्वारा गवाहो के साथ मौके पर पहुचकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया। जहां पुलिस को आते देखकर कुछ जुआड़ी भाग निकले तथा आम जगह पर रूपये-पैसो का हार-जीत दांव लगाकर जुआ खेलते जुआड़ी रंगे हाथो पकडें गये।

अभाविप गरियाबंद के कार्यकर्ताओं ने घेरा कलेक्ट्रेट

■ **छात्रों को नियमित छात्रवृत्ति नहीं मिलने का मामला**

गरियाबंद। पैरी गंगा महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को नियमित छात्रवृत्ति नहीं दिए जाने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गरियाबंद के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया।

इस दौरान विरोध प्रदर्शन कर रहे अभाविप कार्यकर्तओं ने नगर में रैली निकालकर जिला प्रशासन के प्रति जमकर नारे लगाए। अभाविप ने कलेक्टर के नाम दिए ज्ञापन में बताया कि जिले में संचालित पैरी गंगा महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को 2016-17 ,2017-18,2018 एवं 2019-20 में शासन से मिलने वाले निर्धारित छात्रवृत्ति राशि नहीं मिले है। इस संस्था में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ज्यादातर विद्यार्थी अध्ययनरत है। छात्रवृत्ति नही मिलने से विद्यार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभाविप ने सभी विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति तत्काल देने की मांग किये है।

प्रदर्शन के दौरान अभाविप छत्तीसगढ़ प्रदेश मंत्री शुभम जायसवाल, जिला संयोजक अनंत सोनी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रोमी सिन्हा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजा साहू, राष्ट्रीय कला मंच प्रांत प्रमुख जय शर्मा, नगर मंत्री शैलेन्द्र देवांगन ,नगर अध्यक्ष शुभम वर्मा, उपाध्यक्ष पलक सहारे, कार्यालय मंत्री यश सिन्हा, राजिम नगर मंत्री डिकाश देवांगन, दीपक सिन्हा, कुंदन सोनकर, देवभोग नगर मंत्री हेमंत नागेश, नगर अध्यक्ष गजानंद कश्यप, सह महाविद्यालय प्रमुख जय प्रकाश कुटारे, स्व्रष्ठ प्रमुख खिलेश सिन्हा, विद्यालय प्रमुख शिवांक त्रिपाठी, सह विद्यालय प्रमुख प्रवीण सिन्हा, नगर कार्यकारिणी सदस्य राजा दुबे, ताराचंद सिन्हा, नगर एवं जिला के सभी कार्ययकर्ता उपस्थित थे।

निर्जला व्रत रखकर महिलाओं ने मांगी पति की लंबी आयु के लिए कामना

■ **सुहागिने रही खुश धूमधाम से मनाया करवाचौथ का त्योहार**

गरियाँबंद। 4 नवंबर को सुहागिनों ने धूमधाम से मनाया करवाचौथ का त्योहार। आज के दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा के साथ-साथ भगवान शिव,पार्वती जी,श्री गणेश और कार्तिकेय की पूजा भी की जाती है ।

गरियाबंद जिले में भी महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए दिन भर निर्जला उपवास रखकर इस व्रत का पालन करते हुए शाम को पूजा पाठ कर अपने छतों से आसमान की ओर चंद्रमा के निकलने की राह तकती रही,जब तक चंद्रमा आसमान में नजर नहीं आता पति पत्नी मिलकर उस चंद्रमा के निकलने का इंतजार करते रहे । और जिस पल चंद्रमा ने आसमान पर अपनी पहली झलक दिखाई,दिनभर की कठोर तपस्या का फिर उस पत्नी के लिए सबसे खूबसूरत पल होता है कि वे चंद्रमा को देखकर अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हुए उस पर जल चढ़ाती हैं । फिर चंद्रमा को देखकर अपने पति को दखते हुए उनका आशीर्वाद लेती हैं, पति उनको अपने हाथों से जल का दो घूंट पिलाकर उनका निर्जला उपवास खोलते हैं, 4 नवंबर को भी यह मनोरम दृश्य हर घर के छतों में देखा जा रहा था । जो केवल गरियाबंद जिले में नहीं बल्कि पूरे भारत में इस व्रत को इस दिन पति की दीर्घायु के लिए ही महिलाएं पुरातनकाल से करवा चौथ का व्रत करती चली आ रही हैं ।

युवा हर्ष चावला की संदेहास्पद मौत को लेकर कृषक नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल मिला कलेक्टर व एसपी से

साजा। कृषक नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में आज एक प्रतिनिधि मंडल बेमेतरा जिला के जिलाधीश महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात कर हाल ही में नगर के युवा हर्ष चावला के नदी में डूब कर मृत्यु हो जाने को संदेहास्पद मौत के रूप में देखते हुए न्यायिक जांच की मांग की हैं। उल्लेखनीय है कि जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 17 के पार्षद रानी बंटी चावला के युवा पुत्र हर्ष चावला का गत दिनों शिवनाथ नदी अमोरा घाट में संदेहास्पद रूप से पानी में डूबने से मौत हो गया था। जिसे चावला परिवार के सदस्यों ने संदेहास्पद रूप से हुई मौत के ऊपर से पर्दा हटाने की मांग किया है। चावला परिवार योगेश तिवारी के नेतृत्व में बेमेतरा कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से मिलकर इस मामले की जांच हेतु एक टीम गठित करने की मांग की है एवं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र ही दोषियों के ऊपर कार्यवाही करते हुए न्यायिक जांच की मांग की हैं।

कलेक्टर ने गौठानों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने पर दिया जोर

महासमुंद। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने बसना विकासखण्ड के मॉडल गौठान नवागांव का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन का जायजा लिया और गौठानों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने पर जोर देते हुए आजीविका के संभावना पर अधिकारियों से चर्चा किया। अधिकारियों ने बताया कि यह गौठान 13 एकड़ क्षेत्र पर स्थित है, जिसमें 03 एकड़ पशुओं के लिए बनाया गया है तथा 10 एकड़ चारागाह जमीन है। यहां 11 पक्की वर्मी बेड बनाया गया है। जिससे वर्मी कम्पोस्ट खाद निकालने की शुरूआत महिला स्व-सहायता समूह की सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा यहां वर्मी वॉश भी निकाले जा रहे हैं। जिसे प्रति लीटर 25 रूपए की दर से विक्रय किया जाता है। यह फसलों के लिए काफी लाभदायक है। उक्त राशि गौठान समिति के खाते में ही जमा की जाती है। कलेक्टर ने स्व सहायता समूह की महिलाओं और चरवाहों से चर्चा की। इस दौरान स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि गौठान में उनके द्वारा वर्मी कम्पोस्ट के अलावा सब्जी उत्पादन और घर के पुरानी साडियों से पैरदान एवं अन्य अनुपयोगी सामग्रियों से झालर एवं सजावटी सामग्रियां बनाई जाती है।

कलेक्टर ने किया प्रयास विद्यालय प्रवेश परीक्षा का निरीक्षण

■ **इंगलिश मीडियम स्कूल जल्द निर्माण करने के निर्देश**

गरियाबंद। कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने आज दोपहर प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए कक्षा नवमीं में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वीर सुरेन्द्र साय शासकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय में आयोजित परीक्षा की जानकारी ली। प्रभारी प्राचार्य सी.एल. तारक ने बताया कि महाविद्यालय में 253 बच्चों में से 194 बच्चे परीक्षा दिला रहे हैं। ज्ञात है कि जिले में मैनपुर एवं छुरा सहित कुल तीन सेंटर बनाये गये है। कलेक्टर ने परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए आदिवासी विकास विभाग को आवश्यक निर्देश दिये है। तत्पश्चात कलेक्टर द्वारा शासकीय इंगलिश मीडियम स्कूल संचालन की तैयारियों का जायजा लिया गया। वर्तमान में बालक प्राथमिक शाला में यह शाला संचालित है। कलेक्टर ने परिसर अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्य का अवलोकन करते हुए डीपीआर बनाने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिये है। उन्होंने अतिशीघ्र डीपीआर बनाकर प्रस्तुत करने कहा है। प्राचार्य आर.एस देवांगन ने बताया कि वर्तमान में 349 बच्चों द्वारा एडमिशन लिया गया है तथा ऑनलाईन क्लॉस प्रारंभ है। कलेक्टर ने इंगलिश मीडियम स्कूल के लिए अन्य वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के निर्देश भी दिये है।

केन्द्र सरकार की किसान, कृषि और उपभोक्ता विरोधी कानून के खिलाफ किसानों ने किया नेशनल हाइवे जाम

महासमुंद। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रीय आह्वान परकेन्द्र सरकार द्वारा लाये गए कारपोरेट हितैषी तथा किसान, कृषि व आम उपभोक्ता विरोधी कानून को रद्द करने और बिजली संशोधन बिल 2020 को सदन में न लाने की मांग को लेकर किसानों ने 5 नवम्बर को घोडारी पूल के पास नेशनल हाइवे में चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन किया। चक्काजाम के पूर्व किसानों ने नेशनल हाइवे के बाजू में सभा का आयोजन किया गया।

सभा को संबोधित करते हुए किसान भुगतान संघर्ष समिति के संयोजक व जिला पंचायत सदस्य जागेश्वर जुगनू चन्द्राकर ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा लाये गए कथित कृषि कानून किसान, कृषि आम उपभोक्ता विरोधी और कारपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने वाली कानून है। इस कानून का विरोध अध्यादेश लाये जाने के समय से ही हो रहा है जो एक देशव्यापी किसान आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। देश भर के 360 से अधिक किसान संगठनों के समन्वय से बनी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रीय आह्वान पर छत्तीसगढ़ में किसानों , मजदूरों व प्रगतिशील सामाजिक संगठनों जैसे 25 संगठन छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ में शामिल है जो लगातार किसानों के हित में लड़ाई लड़ रही है।

वृद्धा ने फांसी लगाई

महासमुंद। कोमाखान थाना क्षेत्र के ग्राम टूहलु में एक वृद्धा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक श्रीमती गोमती बाई पति स्वर्गीय पहाड़ी (80) ने सोमवार को अज्ञात कारणों से अपने घर में फांसी लगा ली। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है।

सोने-चांदी के जेवर पार

महासमुंद। खल्लारी थाना क्षेत्र के ग्राम बरबसपुर में बीते दिनों अज्ञात ने एक मकान में घुसकर जेवर पार कर दी। पुलिस ने बताया कि गांव के सोहनलाल साहू पिता ज्ञानसिंह (49) ने शिकायत दर्ज कराई है कि बीते 28 अक्टूबर को अज्ञात ने घुसकर घर में रखे सोने की चैन, चांदी की अंगूठी और 14 हजार रुपए नकदी रकम सहित कुल 44500 रुपए की चोरी कर ली है। शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ 457, 380 के तहत जुर्म दर्ज किया है।

बाइक सवार ट्रक से भिड़े, मौके पर ही मौत

महासमुंद। बागबाहरा से काम निपटा कर वापस घर जा रहे दो बाइक सवार खोपली पड़ाव के पास एक अज्ञात ट्रक के पीछे भिड़ गए जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंचे और शवों का पंचनामा कर पीएम के लिए भेज दिया है और ट्रक की तलाश में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक कोमाखान थाना क्षेत्र के ग्राम बिड़ोरा निवासी गैंदराम ठाकुर पिता पूरन (45) और गौतम गोड़ पिता पुनह सिंह (36) बाइक क्रमांक से बागबाहरा आए थे। करीब शाम 6 बजे वे वापस गांव जा रहे थे। इसी दौरान पिथौरा चौक में खोपली पड़ाव के पास कोमाखान की ओर जा रही ट्रक से भिड़ गए। घटना इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर बल के साथ ही वे मौके पर पहुंचे और शव का पंचनामा कर पीएम के लिए बागबाहरा सीएचसी भेज दिया। घटना के बाद से ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। स्वराज त्रिपाठी ने बताया कि ट्रक की तलाश के लिए रास्तें में नाकाबंदी कर अन्य थानों को सूचित कर दिया गया है। मामले में मर्ग कायम कर 304 ए के तहत अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ जुर्म दर्ज कर जांच में लिया जाएगा।

जमीन विवाद पर मारपीट

महासमुंद। जमीन विवाद के मामले में दो महिला और एक युवक ने मिलकर एक महिला की पिटाई कर दी। तेन्दूकोना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक साल्हेभाठा निवासी पुन्नी बाई साहू (45) ने शिकायत दर्ज कराई है कि गांव की मालती साहू, गोलू साहू और फागनी साहू ने जमीन विवाद की बात पर मिलकर उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी है। शिकायत पर आरोपियों के विरुद्ध जुर्म दर्ज कर जांच में लिया है।

आवासीय बैंक मित्र का प्रशिक्षण सम्पन्न

महासमुंद। बड़ौदा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) द्वारा 28 अक्टूबर से 02 नवम्बर तक 06 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण सम्पन्न कराया गया। निदेशक ने बताया कि प्रशिक्षण में विकासखण्ड सरायपाली एवं बागबाहरा के कुल 11 प्रशिक्षणार्थी सम्मिलित हुए। इस पाठ्यक्रम में उन्हें अधिकारियों द्वारा बैंक की विभिन्न जानकारियां, बैंक मित्र के कार्य व भूमिका, केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाएं, बैंक भ्रमण, बैंक कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं को कैसे समाधान करें सहित अन्य विषयों पर विस्तारपूर्वक प्रशिक्षण दिया गया। जिनका ऑनलाईन (आई.आई.बी.एफ) परीक्षा 3 नवम्बर को आरसेटी संस्थान में सम्पन्न कराया गया।

मेडिकल बोर्ड ने 49 दिव्यांगों को चिकित्सा प्रमाण पत्र किया जारी

महासमुंद। समाज कल्याण विभाग के उप-संचालक ने बताया कि आज 04 नवम्बर को जिला चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड के समक्ष दिव्यांगों का चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किया गया। जिसमें कुल 49 व्यक्तियों का पंजीयन किया गया। इनमें अस्थिबाधित 31, श्रवणबाधित 05, मानसिक 01, दृष्टिबाधित 10, सिकल सेल 01 तथा 01 मानसिक व्यक्ति को रायपुर भेजा गया है। इन सभी पंजीकृत दिव्यांगों में सभी 49 दिव्यांगजनों का मेडिकल प्रमाण पत्र जारी किया गया ।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)
मामले की श्रेणी-राजस्व
ईश्तहार

मा.क्रं. 202011101000008
विषयः अ-06 वर्ष 2020-21
कुरुद प.ह.न. 00050 (हे.)
पक्षकारों का विवरणः आवेदक पक्षकार- संजय पासवान
अनावेदक पक्षकार-

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री संजय पासवान पिता राम दोर पासवान पास सुपेला भिलाई द्वारा ग्राम कुरुद प.ह.न. 19 अ रा.नि.म. कोहका तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 333/1 का टु. रकबा 0.001 हे./ 1580 वर्गफीट भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता श्री चिंता राम आ. दुकालू से क्रय किए जाने के आधार पर अपने नाम नामांतरण किए जाने बाबत् आवेदन पत्र मय बैनामा की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त भूमि का नामांतरण किए जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति संस्था को उजर या दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 26.11.2020 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपनाा आपत्ति पेश कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 02.11.2020 को जारी किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर (छ.ग.)
मुहर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)
मामले की श्रेणी-राजस्व
ईश्तहार

मा.क्रं. 202011101000007
विषयः अ-06 वर्ष 2020-21
कुरुद प.ह.न. 00050 (हे.)
पक्षकारों का विवरणः आवेदक पक्षकार- रुबी गुप्ता
अनावेदक पक्षकार-

हल्का पटवारी ग्राम कुरुद विषय जांच प्रतिवेदन करने बाबत्।

आवेदिका श्रीमती रुबी गुप्ता पति रंजन कुमार गुप्ता पता केम्प-01 भिलाई द्वारा ग्राम कुरुद प.ह.न. 19 अ रा.नि.म. कोहका तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 397/1 का टु. रकबा 1310.75 वर्गफीट भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता श्री कृतराम आ. धनीराम से क्रय किए जाने के आधार पर अपने नाम नामांतरण किए जाने बाबत् आवेदन पत्र मय बैनामा की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।

उक्त संबंध में निम्न बिन्दुओं पर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें 1. ग्राम का नाम, 2 आवेदित भूमि वर्तमान पटवारी अभिलेख में बी-01 खसरा पांचसाला में किसके नाम पर दर्ज है। विवरण खाता क्रमांक, खसरा नं एवं रकबा सहित, 03 क्या आवेदित भूमि का विक्रय किया गया है। पंजीयन विक्रय पत्र दिनांक एवं विक्रय की गई भूमि का विवरण, 04 क्या आवेदित भूमि सड़क रास्ता एवं सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सुरक्षित है अथवा नही पूर्ण विवरण सहित, 05 क्या आवेदित भूमि का भू-राजस्व बकाया है, 06 क्या वाद भूमि निस्तार पत्रक, वाजुबुलअर्ज में दर्ज है, यहि हां तो किस प्रयोजन हेतु , 07 क्या आवेदित भूमि आदिवासी, शासकीय पट्टे/ काबिल कास्त/ भू-दान धारक से प्राप्त भूमि/ सीलिंग पट्टे की भूमि है अथवा नही, 08 मिलस एवं अधिकार अभिलेख में आवेदित भूमि किस मद अथवा मद में दर्ज है पूर्ण विवरण, 09 क्या आवेदित भूमि पर कुआं, पंप, वृक्ष इत्यादि है अथवा नही। पूर्ण विवरण सहित, 10 वर्तमान नक्शा, खसरा बी-1 के साथ प्रतिवेदन प्रस्तुत कर लगान निर्धारण करे, 11 वर्तमान में खसरा नंबर 6 लाईन को प्रभावित नही कर रही है। प्रतिवेदन सहित उल्लेख करे। उक्त संबंध में आप जांच प्रतिवेदन पेशी दिनांक 26.11.2020 के पूर्व भिजवाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त भूमि का नामांतरण किए जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति संस्था को उजर या दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 26.11.2020 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपनाा आपत्ति पेश कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 02.11.2020 को जारी किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर (छ.ग.)
मुहर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी
(रा.) धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-2/ 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री राकेश आ. दयालू एवं अन्य 02 निवासी जंजगिरी तह. धमधा जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम/शहर जंजगिरी प.ह.न. 49 में स्थित भूमि स्वामी हक भूमि खसरा नंबर 203/147 रकबा 0.101 हें/ 10868 भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु पुनः निर्धारण के लिए आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 के तहत प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 04.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी
धमधा जिला, दुर्ग (छ.ग.)
मुहर

न्यायालय नायब तहसीलदार
दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./41/अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री सुनील कुमार ठाकुर पिता दुजेराम निवासी खुरसीडीह तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा अपने हक की क्रय शुदा भूमि ग्राम गनियारी प.ह.नं. 04 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नं. 499 रकबा 0.210 हे. भूमि विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता राजेन्द्र ठाकुर पिता स्व. चंदूलाल अन्य 04 के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध को उक्त भूमि के संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 24.11.2020 तक स्वयं अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 04.11.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)
मुहर

न्यायालय नायब तहसीलदार
दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

मा.क्र./क्यू/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री नंदूराम देवांगन साकिन वार्ड नं. 21 आशा नगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग अपने पिता बंठाराम देवांगन आ. स्व. सखा देवांगन की मृत्यु दिनांक 09.06.2013 को हो चुकी है उक्त संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र चाहा गया है जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था उक्त भूमि के संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 17.11.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 02.11.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
जिला दुर्ग (छ.ग.)
मुहर

न्यायालय नायब तहसीलदार
दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

मा.क्र./क्यू/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री नंदूराम देवांगन साकिन वार्ड नं. 21 आशा नगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग अपने माता कुंवरिया बाई पति स्व. बंठाराम देवांगन की मृत्यु दिनांक 13.04.1991 को हो चुकी है उक्त संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र चाहा गया है जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था उक्त भूमि के संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 17.11.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 02.11.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
जिला दुर्ग (छ.ग.)
मुहर

न्यायालय नायब तहसीलदार
दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./5/अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री मोहन साहू पिता देवनाथ साहू निवासी डुडिया तह. व जिला राजनांदगांव द्वारा इस न्यायालय में आवेदन पेश किया गया है कि उनके पति देवनाथ के नाम पर ग्राम खुरसीडीह प.ह.नं. 03 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नं. 18/1 रकबा 0.42 हे. भूमि एकल में दर्ज है। खातेदार देवनाथ साहू की मृत्यु दिनांक 06.06.2019 को होने से उनका नाम विलोपित कर वारिसान हक में मृतक खातेदार के विधिक वारिसानों का नाम दर्ज करने हेतु आवेदन इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 12.11.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 13.10.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)
मुहर

कार्यालय राजस्व निरीक्षक
सिकोला दुर्ग (छ.ग.)
सूचना-सीमांकन

संदर्भ- तहसीलदार दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 117
दिनांक 18.06.2020 वर्ष 2019-20

उपरोक्त आदेश के परिपालन में ग्राम सिकोला प.हन. 08 रा.नि.मं. सिकोला के भूमि स्वामी/आवेदक श्री एस विजयलक्ष्मी आ./ध.प. एस.आर बलराम के भूमि ग्राम सिकोला में स्थित सीमांकन हेतु आवेदित भूमि ख.न. 57/252 रकबा 0.014 हें का स्थल जांच/ सीमांकन/ बंटाकन/ त्रुटि सुधार मेरे द्वारा किया जावेगा। चुंकि उक्त खसरा नंबर से आपकी भूमि भी लगी हुई है या अपाके द्वारा बेची गई है। अतः आप अपने समस्त दस्तावेजों (पंजीयन ले आऊट वर्गेरह) के साथ मौके पर दिनांक 06.12.2020 को 12.00 उपस्थित रहें।

राजस्व निरीक्षक
सिकोला दुर्ग
मुहर

बस्तर सांसद मजदूर संगठन को समर्थन देने तीन विधायकों के साथ पहुंचे नगरनार

एनएमडीसी को प्लांट चलने का मौका देना चाहिए, यदि वह चला नहीं पाए तब सरकार को जो करना हो करें – दीपक बैज

नव प्रदेश संवाददाता

जगदलपुर। नगरनार स्टील प्लांट का एनएमडीसी से डीमर्जर किये जाने के विरोध में 26 अक्टूबर से स्टील प्लांट के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे मजदुर संगठन को समर्थन देने बस्तर संसद दीपक बैज, जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन , बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल, नारायणपुर विधायक चन्दन कश्यप नगरनार पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा, ग्रामीण जिला अध्यक्ष्य बलराम मौर्य व् नगर निगम सभापति कविता साहू के साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि व् कांग्रेस कार्यकर्त्ता भी साथ रहे।

दरअसल लगभग 23 हजार करोड़ की लगत से निर्मित हो रहे बस्तर के पहले स्टील प्लांट से बस्तर के बेरोजगार युवाओं व् ग्रामीणों को काफी उम्मीदें थीं पर प्लांट के शुरू होने पहले ही इसे निजी हांथों में सौंपने की सुगबुगाहट शुरू हो गई और अब इसे एनएमडीसी से डिमर्ज कर दिया गया है।

यह फैसला केंद्र सरकार का है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार इसका पुरजोर विरोध कर रही है। बस्तर के स्थानीय जनप्रतिनिधि लगातार समय समय पर यहाँ सक्रिय मजदूर संगठन के विरोध का समर्थन करने पहुँच रहे हैं। इससे पूर्व भी छग के उद्योग मंत्री कवासी लखमा के पुत्र व सुकमा जिला पंचायत अध्यक्ष हरिस कवासी ने भी डीमर्जर का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया था।

केंद्र सरकार ने आदिवासियों को छला है जरूरत पड़ी तो दिल्ली तक लड़ेंगे : बैज

धरना को समर्थन देने पहुंचे बस्तर सांसद दीपक बैज ने कहा कि केंद्र सरकार ने बस्तर के आदिवासियों के साथ छल किया है। इससे पहले बस्तर में उद्योगों का लगातार विरोध किया जाता रहा है और यही वजह है कि टाटा को यहाँ से लौटना पड़ा पर नगरनार स्टील प्लांट को लेकर बस्तरवासियों ने अपना भरोसा जताया था और अपनी जमीन दी थी , और बस्तर औद्योगीकरण की ओर बढ़ रहा था पर एनएमडीसी और केंद्र के इस रवैये ने भरोसा तोडा है। दीपक बैज का कहना है कि निजीकरण की इस लड़ाई को बस्तर से दिल्ली तक लड़ा जायेगा, आवश्यकता पड़ी तो बस्तर के सभी जनप्रतिनिधि दिल्ली भी जायेंगे और बस्तर की बात रखेंगे।

अधिकार मिलने तक लड़ेंगे : रेखचंद

वहीं जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने धरना का समर्थन करते हुए कहा कि इस लड़ाई को अपना अधिकार मिलने तक लड़ा जायेगा। इस लड़ाई में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बस्तर सांसद व् बस्तर के सभी विधायकों के साथ प्रभावितों व् मजदूर संगठनों के साथ लड़ा जायेगा। नगरनार स्टील प्लांट को दी गई जमीन के बाद अभी भी कई ऐसे परिवार के हैं जिनमे केवल महिलाएं ही हैं और उन्हें आज तक प्रभावित के तौर पर नौकरी नहीं दी गई, इस मुद्दे पर रेखचंद जैन ने कहा कि भाजपा ने पंद्रह साल छग में राज किया और महिलाओं को मजबूत करने की बात कही पर किया नहीं, कांग्रेस के विधायक उन महिलाओं को भी उनका अधिकार दिलवा कर ही रहेंगे।

पिता का हत्यारा गिरफ्तार, शराब पीने की बात को लेकर हुआ था विवाद

कोरबा। दर्री पुलिस ने पिता के हत्यारे पुत्र को 24घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए दर्री पुलिस ने बताया कि पिता के अत्यधिक शराब पीने के कारण बेटे ने पिता की हत्या की थी। दर्री पुलिस ने हत्यारे पुत्र को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया है।दर्री पुलिस ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पिता के अत्यधिक शराब पीने की लत से परेशन होकर पुत्र ने पिता के सिर पर लाठी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने पिता की मौत होने की सूचना पुलिस को दी। जांच के दौरान पता चला,कि पुत्र ने ही पिता की हत्या की है। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। मामले में 302 का अपराध कायम कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

वाहन से 25 लाख का गांजा जब्त

कोरबा। दीपका पुलिस ने आधी रात को संदेह के आधार पर जांच के लिए एक कार को रोकना चाहा तब वाहन चालक ने पहले अपना वाहन सोमवारी बाजार की ओर मोड़ लिया। पीछा किये जाने पर तेज गति से टैक्सी स्टैंड के पास जायलो वाहन क्रमांक ष्द् .12.इद्ध 3881 ब्रेकर में लगभग 2 फिट उछलकर बंद हो गया। तभी हड़बड़ी में ड्राइवर वाहन छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने जब वाहन की तलाशी ली तो तीन बोरी में भरे लगभग ढाई क्विंटल गांजा मिला। दीपका पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। जब्त किए गए गांजा की कीमत 25 से तीस लाख रुपये बताया जा रहा है। गांजा तस्करों द्वारा झारखंड और उड़ीसा से गांजा की तस्करी की जाती है इस संबंध में जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि कोरबा दीपका और कोरबा कटघोरा मार्ग से गांजा की तस्करी की जाती है इन मार्गो से इसे मध्य प्रदेश दिल्ली एवं पंजाब पहुंचाया जाता है मध्य प्रदेश में जहां गांजा की कीमत 5 गुना बढ़ जाता है वही दिल्ली और पंजाब पहुंचते-पहुंचते छत्तीसगढ़ की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा भाव मिलता है इन तस्करों द्वारा पुराने वाहनों का उपयोग किराए के वाहनों का उपयोग तस्करी में किया जाता है अधिकतर मामलों में गाड़ी के नंबर बदले हुए पाए जाते हैं जिसकी तस्दीक बाद में चेचिस नंबर के आधार पर की जाती है। इस मामले में भी पुलिस का मानना है कि जो नंबर गाड़ी में दिख रहे हैं वह फर्जी हो सकता है।

गरियाबंद जिले के विकास पर नव पदस्थ कलेक्टर की मीडिया से खास चर्चा

मीडिया के माध्यम से संज्ञान में लाए जाने वाले सभी पहलुओं पर होगी कार्यवाही

नव प्रदेश संवाददाता

गरियाबंद- नवपदस्थ कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने पद भार ग्रहण के दूसरे दिन ही गरियाबंद ज़िले के मीडिया से सौजन्य मुलाक़ात कर गरियाबंद ज़िले के विकास के विषय में चर्चा किए इस दौरान उन्होंने कहा की गरियाबंद ज़िला रत्नगर्भा भूमि है ।यह रत्नो से परिपूर्ण ज़िला है । इस ज़िले में इमारती लकड़ी औषधी युक्त जड़ी बूटी के साथ बहुमूल्य रत्नो से भरा पड़ा है, यहाँ वाइल्ड लाइफ़ को लेकर अपार संभावनाए जताई, इसके साथ ही शसान के विभिन्न योजनाओं से ज़िले वासीयो को लाभँवित करना है और ज़िले में विकास की गति को आगे बढ़ाना है ।और उन विकास कार्यो के देख रेख के लिए मीडिया मेरी आँख और कान है हमें साथ मिलकर ज़िले को आगे बढ़ाना है। मीडिया के माध्यम से संज्ञान में लाए जाने वाले सभी पहलुओं पर गंभीरता से कार्यवाही की जाएगी,साथ ही युवा कलेक्टर निलेश कुमार क्षिरसागर ने युवाओं को संदेस दिया कि किसी भी कार्य के लिए प्रयत्न की ज़रूरत है,हताश होने की ज़रूरत नहीं है। असफ्लता ही सफ्लता की कुंजी है युवाओं का पर्याश उन्हें निश्चित रूप से सफ्लता दिलाएगा।

ज़िले में युवाओं को सरकारी नौकरी ही विकल्प न चुनकर अपनी प्रतिभा के अनुकूल अन्य कार्य को भी करना चाहिए,जिसमें वह बहुत आगे जा सकते हैं । आगे उन्होंने चर्चा में कहाँ की अभी तो ज़िले में सरकारी योजानाओ का क्रियाँनवयन समीक्षा की शुरूवात है, मुलाकात के दौरान सभी मीडिया के उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा उन्हें गरियाबंद आगमन पर बधाई व शुभकामनाएं दीं गई।

ग्रामीणों ने पूर्व सरंपच पर इंदिरा आवास बेचने का लगाया आरोप

डोंगरगढ़। समीप ग्राम कल्याणपुर के ग्राम पटेल सहीत ग्रामीणो ने गांव के पूर्व सरपंच के उपर इंदिरा आवास बेचे जाने का आरोप लगाया है मांमले में कार्यवाही को लेकर ग्राम पटेल व ग्रामीणो ने अनुविभागीय अधिकारी को शिकायत की है । ग्राम कल्याणपुर के पटेल बारेलाल वर्मा ,भीखम सिन्हा, लक्ष्मण वर्मा ,जितेंद्र कुमार ने शिकायत में बताया कि ग्राम के सत्यपाल पिता धुल्लेराम खोब्रागढे के द्वारा ग्राम सरपंच रहते हुए खसरा न. 216/4 में 16 डी अतिक्रमण कर अपने धरमपाल खोब्रागढे को इंदिरा आवास का लाभ पहुचाकर उसी इंदिरा आवास में स्वंय सहपरिवार निवास कर रहा था और विगत 12 वर्षो से उक्त आवास में राधेलाल पिता बिसौहा चंदवंशी निवासरत है जिसकी शिकायत 2012 में ही की गई थी। जिस पर तत्कालीन एसडीएम जे पी मौर्य द्वारा कार्यवाही भी की गई लेकिन अधिकारी के स्थानांतरण कि बाद दोबारा राधेलाल चंदवंशी सहपरिवार उक्त इंदिरा आवास में फ़िर से निवास कर रहा है वही सत्यपाल व धरमपाल के द्वारा बटवारे के संबध में गांव के लोगो को बुलाकर स्वंय मौखिक रूप से कहा गया कि मेरे नाम से इंदिरा आवास 5 लाख रूपए में गांव के राधेलाल चंद्रवंशी को बेचा गया जो पैसा अभी तक मुझे नही मिला।

ग्रामीणो ने आगे बताया कि जो व्यक्ति विधुत विभाग में लाइन इस्पेंक्टर के पद पदस्थ होकर 1 लाख रूपए सेलरी ले रहा है उसे सत्यपाल के द्वारा इंदिरा आवास बेचा गया है ग्रामीणो ने उक्त मांमले की शिकायत अनुविभागीय अधिकारी को कर दोषी व्यक्तियो के विरूद्ध कार्यवाही करने की मांग की है।

45 हाथियों की आमद को लेकर ग्रामीणों में दहशत, फसल व मकान को पहुंचाया नुकसान

बैकुंठपुर। कोरिया वन मंडल के खड़गवां वन परिक्षेत्र में कटघोरा वन मंडल की ओर से लगभग 45 हाथियों का एक दल खड़गवां विकासखंड के ग्राम पोड़ी व कोटेया बीट में बीते मंगलवार की रात जिले के सीमा में घुस आए जहा हाथी दिन में कटघोरा व रात्रि में कोरिया वन मंडल की सीमा में नजर आ रहे वही हाथियों ने रात्रि में किसानों के धान की फसल के साथ कुछ मवेशियों को भारी नुकसान पहुंचाया है जहा हाथियों के जिले की सीमा में प्रवेश व फसल को नुकसान पहुंचाने के बाद हाथियों की मौजूदगी की जानकारी वन विभाग को मिली। ऐहतियात के तौर पर आसपास के ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए मुनादी कराई गई है। इन हाथियों के झुंड में नर-मादा के अलावा छोटे हाथी के बच्चे भी देखे गए हैं। जिन खेतों एवं क्षेत्र से होकर हाथियों का दल गुजरा है, वहां भी नुकसान हुआ है। कहीं खेतों के मेड़ भी हाथियों के पैरों के तले धंस गए हैं। अभी तक जंगल में ही हाथियों की मौजूदगी की जानकारी मिल रही है। मौका पाकर जंगल क्षेत्र के समीप खेतों में लगी फसल को पुनः नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसे लेकर किसान चिंतित हैं। इधर जिले के सीमा इलाके में 45 हाथी अब भी विचरण कर रहे हैं। जब कि पूर्व में भी इन हाथियों ने जिले की सीमावर्ती गांवों में धान की फसलों को नुकसान पहुंचा चुके हैं।

सर्वेश्वर एनीकट शुरू होते ही रेट घाट पर मंडराया संकट

नव प्रदेश संवाददाता

कोरबा। जनवरी माह से गेरवाघाट में संचालित रेतघाट बंद हो जाएगा। हसदेव नदी में तैयार हो चुके एनीकट में गेट लगाने का काम चल रहा है। दिसंबर माह में जलभराव के लिए टेस्ट की जाएगी। एनीकट में एक किलोमीटर दूरी तक पानी भराव होगी। भराव क्षेत्र में रेत उत्खनन जारी होने से ग्रीन ट्रिब्यूनल नियम की अवहेलना हो रही है। अमृत जल मिशन के तहत नगर निगम 42 करोड़ की लागत से सर्वेश्वरी एनीकट तैयार कर रही है। 90 फीसदी कार्य पूर्ण हो चुका है।

गेरवाघाट के निकट एनीककट का निर्माण निगम क्षेत्र के 23 वार्ड के लगभग ढाई लाख परिवारों को पेयजल आपूर्ति की जाएगी। हैरत की बात यह है कि एनीकट निर्माण से लेकर पूर्णता ओर अग्रसर होने के बावजूद यहां से धड़ल्ले से रेत का उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। इससे जल भराव क्षेत्र में आने वाले तट में मिट्टी का कटाव हो रहा। कायदे से घाट में रेत आपूर्ति को साल भर पहले बंद कराया जाना था, लेकिन उत्खनन जारी होने से जलभराव क्षेत्र में बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं। इससे एनीकट गेट में मिट्टी जमा होने की संभावना बनी हुई। पानी की समस्या को दूर करने के लिए एनीकट तैयार किया जा रहा। रेत उत्खनन किए जाने से पर्यावरणीय नियमों की धज्जियां उड़ रही है। गेट का निर्माण नवंबर माह तक पूरा हो जाना था, पर लाकडाउन के दौरान मजदूर नहीं मिलने से कार्य में प्रगति प्रभावित रहा। निर्माण एजेंसी जल संसाधन विभाग को बनाया गया है। इससे जुड़े सभी तरह के सरकारी कार्य बारिश के बाद शुरू हो जाती है। विभागीय निगरानी नहीं होने के कारण बारिश थमने के बाद निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं है।

105 में लग चुके हैं 25 गेट

सर्वेश्वरी एनीकट में 105 गेट लगाया जाएगा। जिले का यह पहला एनीकट है जिसमें इतनी संख्या में गेट लगाया जा रहा है। विभागीय अधिकारी की माने तो अब तक 25 गेट लगाया जा चुका है। गेट लगाने के अलावा साइड वाल का भी काम पूरा नहीं हुआ है। एनीकट की सुरक्षा इसकी मजबूती पर ही निर्भर है। नहर मार्ग में भारी वाहनो का आवागमन शुरू होने से साइडवाल में दबाव बढ़ा है।

एनीकट निर्माण का काम दिसंबर माह तक पूरा हो जाएगा। इसका भराव क्षेत्र लगभग 1 किमी तक होगा। ऐसे मे दायरे में आने वाला रेतघाट बंद स्वमेव ही बंद हो जाएगा। निर्माण ठेकेदार को कार्य में प्रगति लाने की बात कही गई है। -
बीपी वासनिक, ईई जलसंसाधन

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
(आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन)

जनसूचना

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार होटल्स/रेस्टोरेन्ट्स/मोटल्स/बैंक्वेटहॉल्स आदि में प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण प्रावधानों को लागू किये जाने के संबंध में।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली द्वारा प्रकरण कमांक 400/2017 में पारित आदेश दिनांक 16/12/2019 एवं 23/07/2020 में निर्देशानुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा होटल्स/रेस्टोरेन्ट्स/मोटल्स/बैंक्वेटहॉल्स आदि में प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण प्रावधानों को लागू किये जाने के संबंध में मार्गदर्शिका प्रकाशित की गई है, जिसके अनुसार प्रत्येक रेस्टोरेंट/होटल्स/मोटल्स/बैंक्वेटहॉल्स आदि में निम्नानुसार व्यवस्थाओं/अनुमतियां सुनिश्चित की जाना अनिवार्य है :-

a) Individual units to provide necessary facilities for control of air, water & noise pollution, solid waste management, etc, as enumerated in the guidelines.
b) Individual units to take necessary approvals from the concerned authorities as listed below:
- Consent to Establish under Air/Water act from Chhattisgarh Environment Conservation Board.
- Consent to Operate under Air/Water act from Chhattisgarh Environment Conservation Board.
- Permission from concerned authorities in accordance with provisions of Noise Rules.
- Permission for Ground Water Extraction from concerned Authorities, if required.
- Building plan approval from local Urban Body/concerned Authorities.
- Fire Safety Certificate/NOC from concerned Authorities.

c) Local authorities to ensure Provision of adequate common facilities for water pollution, solid waste management, parking etc.
d) The state Board to have robust monitoring mechanism to evaluate compliance with norms of such units at least twice a year.

मार्गदर्शिका छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मण्डल की वेबसाईट लिंक https://www.enviscecb.org/orders/Mechanism_Guidelines%20for%20Control%20of%20Pollution%20and%20Enforcement%20of%20Environment%20Norms%20at%20Individual%20Establishments%20and%20the%20AreaCluster%20of%20Restaurants_Hotels_Motels_Banquets%20etc.pdf पर उपलब्ध है। माननीय अधिकरण के निर्देशानुसार, सर्वसंबंधित रेस्टोरेन्ट्स/होटल्स/मोटल्स/बैंक्वेटहॉल्स आदि तथा संबंधित विभाग उपरोक्तानुसार अनुमतियां/सम्मतियां 30/11/2020 के पूर्व प्राप्त करना सुनिश्चित करें। दिनांक 30/11/2020 की स्थिति की रिपोर्ट 31/12/2020 को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकरण में प्रस्तुत की जानी है।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

संवाद- 26912/1

सिरीयस मरीजों का उत्कृष्ट ईलाज (उचित दरों में), सर्वसुविधायुक्त आईसीयू आधुनिक ऑपरेशन थियेटर सभी प्रकार की जांच सुविधा
बांठिया हॉस्पिटल
कोविड मरीजों के ईलाज के लिए अलग व्यवस्था
100 बिस्तरों का सर्वसुविधायुक्त अस्पताल
24 घंटे उपलब्ध सुविधाएं
राजा तालाब रोड, रायपुर, फोन : 0771-2425009, 2424737